श्रम की दुनिया

आईएलओ की पत्रिका

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय जेनेवा

संकट के प्रति प्रतिक्रिया :
एक सामाजिक धरातल की रचना

संख्या 38, अप्रैल 2010

इस अंक में –

वृद्ध होते समाज • सामाजिक सुरक्षा : संकट के प्रति प्रतिक्रिया • सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा • स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच • बेरोजगारी बीमा • जी 20 में आईएलओ

इतिहास में आईएलओ

बिसमार्क से बेवेरिज तक : सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा

© आईएलओ फोटो

सामाजिक सुरक्षा के विशेषज्ञों की आईएलओ बैठक, मॉण्ट्रियल, 9–12 जुलाई 1943 : ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा योजना के लेखक सर विलियम बेवेरिज और आईएलओ के संचालन निकाय के अध्यक्ष श्री कार्टर गुडरिच

120 वर्ष पूर्व, जर्मनी विश्व का वह पहला देश बना था, जिसने वृद्धावस्था सामाजिक बीमा कार्यक्रम मंजूर किया था। इस कार्यक्रम के योजनाकार थे ऑटो वोन बिसमार्क। जर्मन चांसलर बिसमार्क ने अपने देश में इस कार्यक्रम को दो उद्देश्यों के कारण प्रस्तावित किया था। पहला था, श्रमिकों का कल्याण जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह संचालित हो। और दूसरा कारण था, अधिक अतिवादी समाजवादी विकल्पों का निवारण किया जा सके।

इससे पहले जर्मनी में दो सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए थे। वर्ष 1884 में 'बीमारी' बीमा और इसके एक साल बाद श्रमिक मुआवजा कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों और वृद्धावस्था सामाजिक बीमा कार्यक्रम के बाद जर्मन लोगों को सामाजिक बीमा सिद्धांतों पर आधारित आय सुरक्षा की एक व्यापक प्रणाली उपलब्ध हो गई।

अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के बावजूद बिसमार्क को इन कार्यक्रमों के चलते 'समाजवादी' कहा जा सकता है। ऐसे ही कार्यक्रमों को 70 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लागू किया था। वर्ष 1935 में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर किए और उसमें एक ऐसे पारिभाषिक शब्द को शामिल किया जिसमें 'आर्थिक सुरक्षा' और 'सामाजिक बीमा' को संयुक्त किया गया था।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक क्षेत्रों में सामाजिक बीमा योजनाओं को तेजी से विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त आईएलओ, इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ नेशनल यूनियंस ऑफ म्यूचुअल बेनेफिट सोसायटीज और सिकनेस इंश्योरेंस फंड्स सहित नए गठित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कार्यसूची में सामाजिक संरक्षण को शामिल किया गया। सिकनेस इंश्योरेंस फंड्स को अक्टूबर 1927 में ब्रसेल्स में शुरू किया गया था और यह बाद में इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) कहलाया।

वर्ष 1941 में, अटलांटिक चार्टर के तहत, राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंग्सटन चर्चिल ने श्रम मानकों में सुधार, आर्थिक तरक्की और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाई। वर्ष 1942 में जब द्वितीय विश्वयुद्ध अपने चरम पर था, ब्रिटेन की सरकार ने बेवेरिज योजना जारी की, जिसे उसके रचनाकार लॉर्ड बेवेरिज के नाम पर रखा गया था। इसकी मदद से देश की पहली एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का गठन हुआ। फ्रांस में पिअरे लारोकी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के सभी नागरिकों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के प्रयास के तहत वर्ष 1946 में एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का गठन किया।

वर्ष 1944 में, युद्ध के दौरान, आईएलओ के ऐतिहासिक फिलाडेल्फिया घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन, सूचना के नियमित विनिमय और सामाजिक सुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित सामान्य समस्याओं के अध्ययन का आह्वान किया गया।

एक साल बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र को स्वीकृत किया, जिसके अनुच्छेद 22 में कहा गया कि 'प्रत्येक व्यक्ति को, समाज का एक सदस्य होने के नाते, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।' वर्ष 1952 में, आईएलओ ने सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक)समझौता (संख्या 102) को स्वीकृत किया और वर्ष 2001 में संगठन ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया।

श्रम की दुनिया
आईएलओ की पत्रिका

श्रम की दुनिया पत्रिका का प्रकाशन जेनेवा में आईएलओ के जन संपर्क ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन चाइनीज़, चेक, डेनिश, अंग्रेज़ी, फ़िनिश, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, जापानी, नार्वेजियन, रूसी, स्लोवाक, स्पैनिश और स्वीडिश भाषाओं में भी होता है।

सम्पादक
हैन्स वॉन रोलैंड
प्रोडक्शन मैनेजर
किरन मेहरा – कर्पलमन
प्रोडक्शन असिस्टंट
कोरीन लुचीनी, रिता केसेरो
फ़ोटो संपादक
मार्सेल क्रोज़ेट
कला निर्देशन
एमडीपी, आईएलओ, ट्यूरिन
कवर डिज़ाइन
एमेतो मॉन्तेसानो, आईएलओ ट्यूरिन
संपादकीय बोर्ड
टामस नेट्टर (अध्यक्ष), शारलट बोशां, किरन मेहरा–कर्पलमन, कोरिन पर्थिवस, हैन्स वॉन रोलैंड

यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। पत्रिका में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं। पत्रिका में अभिव्यक्त विशिष्ट उल्लेख किसी भी देश, क्षेत्र या उपक्षेत्र और उनके प्रशासन या उनकी सीमाओं के बारे में आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं।

पत्रिका में कंपनियों या वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख आईएलओ द्वारा उन्हें मान्यता देना नहीं है और किसी निश्चित कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख रह जाना उनके प्रति आईएलओ की असहमति नहीं है।

पत्रिका के आलेखों या छायाचित्रों (फ़ोटो एजेंसियों के छायाचित्रों को छोड़कर) का, स्रोत का उल्लेख करके स्वतंत्रता से पुनःउपयोग किया जा सकता है। लिखित सूचना का स्वागत होगा।

सभी पत्र व्यवहार निम्न पते पर किये जाएंः–

Neelam Agnihotri
Communications & Information Unit
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Subregional Office for South Asia
Theatre Court, 3rd Floor
India Habitat Centre
Lodi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24602101-02-03
email: sro-delhi@ilodel.org

मुद्रकः विबा प्रेस प्रा० लि०,
नई दिल्ली–110 020
आईएलओ ट्यूरिन द्वारा प्रकाशित
आईएसएसएन : 1020–0010

एक सामाजिक धरातल की रचना: संकट प्रतिक्रिया के तहत सामाजिक सुरक्षा

वर्तमान अनुमान कहते हैं कि विश्व की आधी आबादी यानी 50 प्रतिशत लोगों को किसी प्रकार का सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि 80 प्रतिशत लोगों को जो सुरक्षा प्राप्त है, वह पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त हाल के वित्तीय एवं आर्थिक संकट के चलते विश्व स्तर पर वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के संकट नीति विचार में बदलाव करने के मौके भी प्रदान करते हैं।

पृष्ठ 4

© एम क्रोजेट/आईएलओ

आमुख कथा

संकट से उत्पन्न हुआ सुअवसर : प्रतिक्रिया और बहाली कार्य में सामाजिक सुरक्षा की भूमिका 4

सामान्य लेख

वृद्ध होते समाज : लंबे जीवन की चुकानी पड़ती है कीमत 9

सामाजिक सुरक्षा : संकट के प्रति प्रतिक्रिया 13

स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच : एक अपेक्षित लक्ष्य 17

'वेल– बोदी–ओसूसू' ('स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है') : सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सियरा लिऑन की पहल 20

सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा : बुनियादी कल्याण योजनाओं की मदद से गरीबी से संघर्ष 22

सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा : ब्राजील की मिसाल 24

कमजोर वृद्ध : लंबे समय से देखभाल की जरूरत 26

संकट के दौर में बेरोजगारी बीमा 29

फीचर बुक

विकासशील देशों में वैश्वीकरण और अनौपचारिक रोजगार 32
आईएलओ, डब्ल्यूटीओ ने व्यापार और अनौपचारिक रोजगार पर किया संयुक्त अध्ययन

नियमित स्तंभ

समाचार 34

- जी 20 ने कहा– संकट बहाली के केंद्र में होगा अच्छा रोजगार
- जी 20 देशों द्वारा किए गए उपाय, जिससे 2009 में सुरक्षित रहे एक करोड़ से ज्यादा रोजगार
- सामाजिक सुरक्षा : दायरा बढ़ाने के लिए आईएलओ ने किया आह्वान
- अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने किया हैती के गारमेंट उद्योग का समर्थन
- आईएलओ ने विकलांगों और आर्थिक संकट एवं बहाली पर लक्ष्य साधा

महाद्वीपों के इर्द गिर्द 42

नए प्रकाशन 45

1919 में गठित, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) अपने 175 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है ताकि विश्व भर में जीवन और कार्य की परिस्थितियों तथा संरक्षण में सुधार के लिए एक समान कार्रवाई की जा सके। जेनेवा में स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, संगठन का स्थायी सचिवालय है।

संकट से उत्पन्न प्रतिक्रिया और बहाली कार्य में

© एम क्रोजेट / आईएलओ

वर्तमान आर्थिक संकट से पहले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर गहन राजनैतिक और आर्थिक दबाव था। औद्योगिकृत देशों में, इन पर आने वाली लागत को बहुत अधिक माना जा रहा था जबकि अनेक विकासशील देशों में इन्हें वहन करने लायक नहीं समझा जा रहा था। अब आर्थिक व सामाजिक संकट ने इन अवधारणाओं को बदल दिया है। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को संकट के दौर में अधिक से अधिक उपयोगी आर्थिक स्थायित्व के रूप में देखा जा रहा है। आईएलओ के सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक माइकल सिचोन संकट के दौर में सामाजिक सुरक्षा पर दृष्टिपात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस दौर में किस प्रकार एक नया विकास प्रतिमान उदित हो रहा है।[1]

आर्थिक एवं सामाजिक संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाखों–करोड़ों लोगों के कल्याण को खतरे में डाल रहा है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में लोगों के रोजगार पर संकट आएगा और वे गरीबी के दलदल में धंसेंगे।

[1] *पिछले सितंबर माह में 'सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की रणनीतियों पर विशेषज्ञों की आईएलओ त्रिपक्षीय बैठक' में इस विषय पर चर्चा हुई थी (पत्रिका के इस अंक के समाचार खंड को भी देखें)।*

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1598
इंग्लिश पुअर लॉज के साथ, जो कि पहली सरकारी प्रायोजित सामाजिक सहायताओं में से एक थी, सामाजिक सुरक्षा की शुरुआता हुई।

1795
थॉमस पेन ने *एग्रेरियन जस्टिस* नाम का प्रपत्र लिखा (जो कि 1797 में अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया) जिसमें उन्होंने यूरोप के देशों और नवोदित अमेरिकी गणराज्य के लिए एक सामाजिक बीमा कार्यक्रम को प्रस्तावित किया।

1889
जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने वृद्धावस्था सामाजिक बीमा कार्यक्रम स्वीकृत किया। इसके बाद 1883 में बीमारी बीमा और 1884 में श्रमिकों के लिए मुआवजा कार्यक्रम के साथ जर्मनी में आय सुरक्षा की व्यापक प्रणाली स्थापित हुई।

1889
पेरिस में औद्योगिक दुर्घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इस कांग्रेस ने सामाजिक बीमा पर स्थायी अंतरराष्ट्रीय समिति गठित की और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन (आईएसएसए) स्थापित किया गया।

हुआ सुअवसर : सामाजिक सुरक्षा की भूमिका

यूं दुनिया के अधिकतर लोगों के लिए जीवन जीना भी कोई कम बड़ा संकट नहीं है। विश्व की 40 प्रतिशत आबादी प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2 डॉलर से कम पर जीवनयापन करने को मजबूर है। दुनिया के करोड़ों बच्चे पांच साल की उम्र पूरी करने से पहले ही काल का ग्रास बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता–पिता उनके लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार अथवा दवाएं नहीं खरीद पाते। लाखों–करोड़ों मजदूर इतना नहीं कमा पाते कि अपने परिवार को सहारा दे सकें और लाखों बूढ़े लोग तब तक काम करते हैं जब तक कि उनकी सांस चलती रहती है क्योंकि उन्हें कोई पेंशन या किसी दूसरे प्रकार की सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं होती।

गरीबी से राहत का सबसे अच्छा और चलताऊ इलाज है, सामाजिक सुरक्षा। इसलिए आज के दौर में हमारे लिए सबसे जरूरी है ऐसे उपाय जो वर्तमान संकट से परे जाकर– विश्व स्तर पर लोगों की स्थायी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करें।

पिछले कई दशकों से यूरोपीय संघ (ईयू) और ओईसीडी देशों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने आय असमानता और गरीबी दूर करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। व्यापक स्तर पर कहा जाए तो सामाजिक संरक्षण पर जितना ज्यादा खर्च किया जाता है, गरीबी का स्तर उतना निम्न होता है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां न केवल सामाजिक जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि ये आर्थिक आवश्यकता होती हैं। इन प्रणालियों का महत्व इस तरह समझा जाने लगा है कि ये विकास के लिए पूर्वापेक्षित हैं, समाज पर बोझ नहीं और इस अवधारणा ने विश्व पर आए आर्थिक संकट से पहले ही विकास से जुड़े नीतिगत विमर्श में अपनी जड़ें जमा लीं। हां संकट ने सामाजिक सुरक्षा संबंधी विमर्श को गति प्रदान की।

संकट के दौर में, हस्तांतरण आय, सामाजिक सहायता और बेरोजगार श्रमिकों और अन्य संवेदनशील लोगों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभ, सामाजिक एवं आर्थिक स्थायित्व का काम करते हैं। इन लाभों के चलते ही लोग न केवल गरीबी की गर्त में गिरने से बचते हैं बल्कि कुल मांग के संकुचित होने को सीमित करते हैं जिससे मंदी का असर कम से कम होता है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की इस भूमिका को आज अधिकतर सरकारों ने सुस्पष्ट तरीके से स्वीकार कर लिया है। औद्योगीकृत देशों ने प्रोत्साहन पैकेजेस लागू किए हैं जिनका उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए अपने नागरिकों की सामाजिक संवेदनशीलता की समस्या से निपटना है। ये देश जिन उपायों को लागू कर रहे हैं, उनमें प्रमुख हैं, अधिक लचीले बेरोजगारी लाभ, संवेदनशील परिवारों को सामाजिक लाभों का हस्तांतरण और अन्य कार्यक्रमों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के लिए अतिरिक्त अनुदान।

संकट के दौरान सुरक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कई सरकारों ने वर्तमान सामाजिक हस्तांतरण प्रणालियों का प्रयोग किया और यह प्रदर्शित किया कि संकट प्रबंधन में स्थायी सामाजिक संरक्षण प्रणालियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। पिट्सबर्ग में जी 20 शिखर सम्मेलन में आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी (इस अंक के समाचार खंड के लेख को देखें) जिसमें कहा गया था कि कुल मांग के स्थायित्व के जरिए 'स्वचालित स्थायित्व' के माध्यमों (जैसे सामाजिक संरक्षण योजनाएं) के रोजगार प्रभाव उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने बहुचर्चित प्रोत्साहन पैकेजेस के रोजगार प्रभाव।[2]

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में चुनौतियां

सामाजिक सुरक्षा के वित्त पोषण और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की बढ़ती मांग पर संकट के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त (इस अंक में देखें 'सामाजिक सुरक्षा : संकट के

>>

[2] *देखें, प्रोटेक्टिंग पीपुल एंड प्रमोटिंग जॉब्स– अ सर्वे ऑफ कंट्री इंप्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी रिस्पांसेज टू द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। जी 20 शिखर सम्मेलन में जारी आईएलओ रिपोर्ट, पिट्सबर्ग, 24–25 सितंबर 2009*

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1895
फिनलैंड में दुर्घटना मुआवजा कानून मंजूर किया गया।

1905
फ्रांस में स्वैच्छिक आधार पर पहली राष्ट्रीय बेरोजगारी योजना बनाई गई जो बेलजियम के घेंट शहर में लागू व्यवस्था पर आधारित थी। छह साल बाद युनाइटेड किंगडम ने बेरोजगारी बीमा पर पहली राष्ट्रीय अनिवार्य प्रणाली को लागू किया।

1909
अमेरिका के मेसाच्यूसेट्स राज्य में वृद्धावस्था पर पहले सार्वजनिक आयोग का गठन किया गया। इसके एक साल बाद इसी राज्य में वृद्धों की आर्थिक स्थिति पर पहला प्रमुख सर्वेक्षण किया गया।

1911
इटली में वेतनभोगी महिलाओं के मातृत्व के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय अनिवार्य बीमा प्रणाली को प्रस्तावित किया गया।

© एम क्रोजेट/आईएलओ

>> प्रति प्रतिक्रिया') सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां दीर्घकालीन प्रणालीगत चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

औद्योगीकृत देशों में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की वित्तीय दीर्घकालिकता को मिली चुनौती ने जनसांख्यिकीय परिवेश में बदलाव कर दिया (इस अंक में देखें वृद्ध होते समाज)। पिछले 20 सालों में पेंशन सुधारों का सबसे बड़ा कारण वृद्धावस्था है। इसके आधार में यह भ्रम भी है कि व्यक्तिगत बचत आधारित वित्त पोषण की जगह एकीकृत वित्तीय लाभ को लागू करने से, परिव्यय स्वतः कम हो जाएगा। वित्तीय प्रणाली में बदलाव करके, व्यय की समस्या से तभी निपटा जा सकता है, जब इससे लाभ के स्तरों में कमी आए। वर्तमान जीडीपी में निष्क्रिय लोगों की आय को अर्थ प्रबंधित करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए और रोजगार प्राप्त लोगों को निष्क्रिय और सेवानिवृत्त लोगों की हस्तांतरण आय को अर्थ प्रबंधित करना चाहिए।

यह बहुत स्वाभाविक है कि आने वाले दशकों में अधिक बड़ी संख्या में वृद्धों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक से अधिक व्यय किया जाएगा। लेकिन पिछले दो दशकों में जिन देशों ने एकीकृत उपायों पर व्यय किया है, उन्हें राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण प्रणालियों और/अथवा सरकारी बजट के वित्तीय संतुलन के बिगड़ने का खतरा न महसूस हो।

अगर बदतर स्थिति में, जनसांख्यिकीय चुनौती से उचित तरीके से निपटना संभव न हो, तो उच्च विकसित प्रणालियों वाले देशों की राष्ट्रीय सामाजिक हस्तांतरण प्रणालियों की दीर्घकालीनता पर पड़ने वाला प्रभाव, सामान्य अनुमान से कम हो। वृद्ध होती आबादी को दिए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण लाभों की संयुक्त लागत पर यूरोपीय संघ की आर्थिक नीति समिति के हालिया उपलब्ध अनुमानों से संकेत मिलता है कि पिछले पांच दशकों में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में होने वाले व्यय में बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई। यह जीडीपी के पांच प्रतिशत प्वाइंट से भी कम थी। यह पर्याप्त, लेकिन अनियंत्रित है।

अलग–अलग देशों में अलग–अलग स्थितियां भी हैं। कुछ देशों में इसका ताल्लुक वृद्धावस्था से कम है और कार्यक्रमों की विशेषताओं से अधिक है, जैसे उनके अर्थ प्रबंधन, योग्यता और लाभ से। ऐसे कुछ मुद्दों को लक्षित करने के लिए लागत से संबंधित उपायों, राजस्व में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों के आवंटन आदि का प्रयोग किया जा सकता है। वृद्धावस्था एक प्रबंधकीय समस्या हो सकती है, एक दुर्लन्घ्य समस्या नहीं।

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

जबकि एक स्तर पर, विकासशील देशों के सामने जनसांख्यिकीय चुनौती पेश हो सकती है, वर्तमान समय में उनके सामने एक समस्या यह भी है कि किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जाए। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, विश्व की 80 प्रतिशत आबादी पर्याप्त सामाजिक संरक्षण से वंचित है।

पहली प्राथमिकता यह है कि उन्हें मूलभूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके जिससे वे एक अच्छी जिंदगी जी सकें। आईएलओ के वित्तीय अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि निम्न आय वाले देशों में भी मूलभूत 'सामाजिक संरक्षण धरातल' प्रदान करने वाले कारकों को अर्थ प्रबंधित करना

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1919 आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पहले सत्र में सामाजिक सुरक्षा पर पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम समझौते को स्वीकृत किया गया।

1924 चिली ने पश्चिमी गोलार्ध में पहले राष्ट्रीय अनिवार्य बीमा कानून को मंजूरी दी।

1926 जापान में वर्ष 1922 का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कानून लागू किया गया।

1927 ब्रसेल्स में परस्पर लाभ संस्थाओं और बीमारी बीमा कोषों के राष्ट्रीय संघों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई जो बाद में इंटरनेशनल सोशल इंश्योरेंस कांफ्रेंस (सिमास) कहलाया।

संभव है। कुछ मामलों में एक प्रस्तावना और सीमित दाता सहयोग आवश्यक हो सकता है। और जैसा कि आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने कुछ साल पहले कहा था, 'विश्व के पास गरीबी खत्म करने के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है, बल्कि सही प्राथमिकताओं का अभाव है।'

लगभग 30 विकासशील देशों ने नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण धरातल प्रदान करने के उपाय सफलतापूर्वक लागू कर दिए हैं (देखें लेख– 'सभी के लिए सामाजिक संरक्षण')। परिणामस्वरूप वे देश इस समय संकट के सामाजिक प्रभावों से निपटने की बेहतर स्थिति में हैं, चूंकि नकद हस्तांतरण प्रणालियों को लचीले उपायों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

इसके बावजूद कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव और आईएलओ के अनुमान प्रदर्शित करते हैं कि एक संतुलित सामाजिक संरक्षण धरातल, अथवा उसका कुछ अंश वहन करना किसी भी देश के लिए कठिन नहीं, इस अवधारणा को वास्तविक राष्ट्रीय संवाद प्रक्रिया की संरचना में अन्वेषित करने की आवश्यकता है जिसमें प्राथमिकताएं तय करना और कठिन फैसले करना शामिल हो सकता है। वैसे अनेक विकल्प मौजूद हैं। करों में बढ़ोतरी, कराधान को अधिक प्रगतिशील और कर एकत्रीकरण को अधिक कारगर बनाना एवं मौजूदा प्रणालियों के प्रभावों को सुनिश्चित करना, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं।

संयुक्त राष्ट्र और आईएलओ की सामान्य नीति प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्रमों पर उच्च स्तरीय समिति ने सामाजिक संरक्षण धरातल के लिए एक सामान्य 'वन यूएन' अवधारणा विकसित की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अनेक अन्य संस्थाओं के सहयोग से आईएलओ इस कार्य को अंजाम दे रहा है। इस कार्यक्रम के केंद्र में है, सामाजिक धरातल अवधारणा पर आधारित दीर्घकालीन सामाजिक हस्तांतरण योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और दाता देशों का गठबंधन बनाना।

जून 2009 में आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में वैश्विक रोजगार संधि द्वारा सामाजिक धरातल की अवधारणा को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस संधि में उन विभिन्न देशों से आग्रह किया गया था जिन्होंने 'मूलभूत सामाजिक संरक्षण धरातल पर आधारित पर्याप्त सामाजिक संरक्षण' की योजना विकसित नहीं की है। संधि में 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया था कि वे राष्ट्रीय आधार पर मूलभूत सामाजिक संरक्षण धरातल के विनिर्माण के लिए बजटीय सहायता सहित अन्य प्रकार का विकास सहयोग प्रदान करें।'

सामाजिक सुरक्षा और सभी तक उसके विस्तार पर चलाए जाने वाले वैश्विक अभियान के संदर्भ में, आईएलओ ने सामाजिक संरक्षण धरातल के सामाजिक हस्तांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान करना शुरू कर दिया है। इस अभियान की अवधारणागत रणनीति के दो आयाम हैं। पहले आयाम के तहत मूलभूत आय सुरक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम तक पहुंच को प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही सामान्य स्तर तक ही, किंतु ये लाभ सभी लोगों तक पहुंचें। दूसरे आयाम के तहत उच्च स्तर की आय सुरक्षा का प्रयत्न किया जाए और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच संभव हो, जिससे लोगों के जीवन स्तर को तमाम विषम स्थितियों में भी बरकरार रखा जा सके, जैसे बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु और वृद्धावस्था।

बहरहाल, किसी किस्म की गारंटी पर चर्चा से वहन करने की क्षमता के प्रश्न को दरकिनार नहीं किया जा सकता। >>

© एम क्रोजेट/आईएलओ

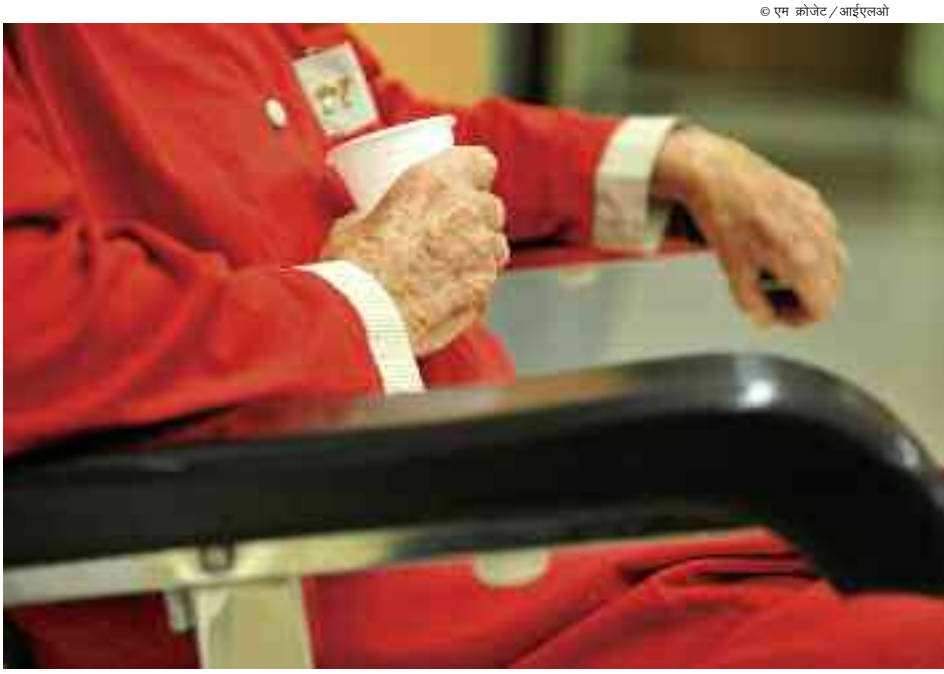

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1935
अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक बीमा को शामिल करते हुए उस पर हस्ताक्षर करके, उसे कानूनी जामा पहनाया।

1938
न्यूजीलैंड ने अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर सार्वभौमिक आय कर द्वारा अर्थ पोषित नकद लाभ से जुड़ा एक कानून पारित किया।

1942
युनाइटेड किंगडम सरकार ने बेवेरिज योजना जारी की जिसे उसके रचनाकार लॉर्ड बेवेरिज का नाम दिया गया था। इसके बाद देश में पहली एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली गठित की गई।

1943
उरुग्वे में वृद्धावस्था, बेरोजगारी, विकलांगता और श्रमिक की मृत्यु पर मिलने वाले बीमा के दायरे में कृषि क्षेत्र के सभी श्रमिकों, नियोक्ताओं को भी, शामिल किया गया। इसी साल, इक्वेडोर में एक नया कानून लागू किया गया जिसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक बीमा बाध्यकारी था।

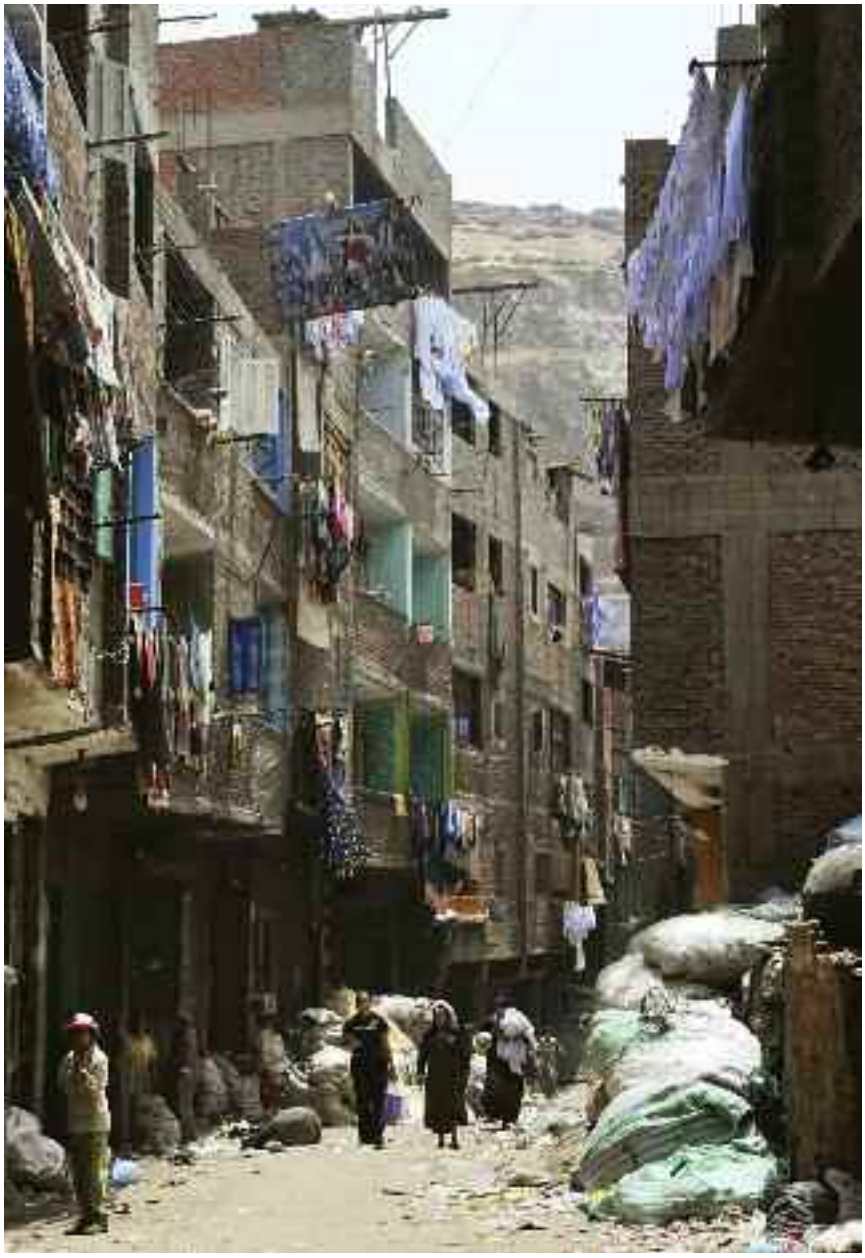

© एम क्रोजेट/आईएलओ

>> एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा रणनीति और प्राथमिकताओं को चिन्हित करने के पश्चात ही विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों और नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन को क्रमबद्ध करने में मदद मिल सकती है। जैसे–जैसे विभिन्न देश आर्थिक विकास के उच्च स्तर प्राप्त करते जाते हैं, उसके समानांतर उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां भी विकसित हो सकती हैं। उनके लाभों और प्रदत्त सेवाओं का विषय, स्तर और गुणवत्ता विस्तृत हो सकती हैं। ये कार्य आईएलओ समझौतों की संरचना, विशेष रूप से संगठन के समझौता संख्या 102 के व्यापक संपुष्टिकरण, के तहत हो सकता है।

अतः जिन मुद्दों पर दांव लगा है, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों से दोबारा प्रारंभ किया जा सकता है।

सभी के लिए बुनियादी स्तर की सामाजिक संरक्षण योजना को – सर्वाधिक संवेदनशील लोगों के लिए– कैसे लागू किया जा सकता है? बजट अथवा नए प्रकार के राजस्व के वर्तमान परिव्यय, पुर्नावंटन में अधिक कुशलता के माध्यम से सामाजिक हस्तांतरण के लिए वित्तीय स्थिति को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है अथवा बढ़ाया जा सकता है? संकट के कारण बजट पर पड़ने वाले दबावों और राजस्व के घाटे के संदर्भ में किस प्रकार परिपक्व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को वित्तीय स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है और लाभ के पर्याप्त स्तरों को सुरक्षित रखा जा सकता है?

इन प्रश्नों के उत्तर नए प्रतिमानों में नहीं, अच्छे प्रशासन में सन्निहित हैं। इतिहास गवाह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दीर्घकालिकता के लिए यह अनिवार्य है कि उन्हें एक अच्छा वित्तीय आधार प्रदान किया जाए। सभी समाजों में सामाजिक हस्तांतरण के लिए एक अच्छे वित्तीय आधार पर बातचीत की जा सकती है।

इस संकट ने सभी को यह याद दिलाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी निर्भीक वैश्विक सामाजिक अवधारणाओं और सुरक्षात्मक उपायों की अपेक्षा है जो ये सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को वैश्विक विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। विश्व स्तर पर असमानता और असुरक्षा में बढ़ोतरी तथा नागरिक असंतोष का बढ़ता संकट अपनी कहानी, आप कहते हैं। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा को सभी तक पहुंचाना आवश्यक है।

आज प्रश्न यह है कि क्या हम विकासगत नीतियों के इतिहास में ऐसे निर्णायक संयोजन पर हैं जो हमें आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के नए प्रतिमानों को प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है अथवा हम बहाली को अधिक मजबूत होते देखकर, फिर उसी सामान्य कारोबार में लग जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1944
फिलाडेल्फिया घोषणापत्र ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आईएलओ की कार्यसूची को व्यापक बना दिया जिससे ऐसी सुरक्षा और व्यापक चिकित्सा सुविधा की जरूरत वाले लोगों को बुनियादी आय प्रदान की जा सके।

1945
आस्ट्रेलिया में बेरोजगारी और बीमारी लाभ कानून लागू किया गया।

1946
फ्रांस सरकार ने सभी नागरिकों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने के लिए प्रयास किए और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का गठन किया।

1947
सिमास का रूपांतरण इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) में हुआ।

वृद्ध होते समाज : लंबे जीवन की चुकानी पड़ती है कीमत

वृद्ध होती आबादी, जिसे कुल आबादी में वृद्ध लोगों के बढ़ते अनुपात की प्रक्रिया कहा जा सकता है, इस शताब्दी की मुख्य समस्याओं में से एक है। यह विकासशील और विकसित, दोनों प्रकार के देशों पर या तो असर डाल रही है या असर डाल सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में कहीं भी कोई भी बैठक होती है, जी–8 सम्मेलनों से लेकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) शिखर वार्ता तक, सभी की कार्यसूचियों में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होती है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए)[1] की हाल की बैठक में जारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस संबंध में सभी प्रकार के जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं।[2]

© एम कोजेट/आईएसएसए

आईएसएसए की रिपोर्ट[2] के अनुसार, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है और विकासशील देशों में कुछ ही दशकों में ऐसा होने वाला है। अगले 40 सालों में कम विकसित देशों में 65 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों का अनुपात तिगुना हो जाएगा। अनुमान है कि इन देशों की कुल आबादी में बूढ़े लोग 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत के करीब हो जाएंगे। दूसरी तरफ अधिक विकसित देशों में बूढ़े लोग 16 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत तक हो जाएंगे (यह वृद्धि 60 प्रतिशत से अधिक है)। दूसरे शब्दों में, विकसित देशों में हर तीन में से एक व्यक्ति पेंशनयाफ्ता होगा।

जापान में वृद्धों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहां 22 प्रतिशत से ज्यादा लोग 65 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं। इटली और जर्मनी में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत के करीब है और दक्षिणी अमेरिका के देश उरुग्वे में 64 साल से अधिक उम्र के 14 प्रतिशत लोग हैं। वर्ष 2050 में इस प्रवृत्ति के बढ़ने की आशंका है। जैसे जापान में 64 साल से अधिक उम्र के हर तीन लोगों पर केवल एक बच्चा (15 साल से कम उम्र का) होगा।

इस आंकड़ों से स्पष्ट है कि वृद्धावस्था की प्रक्रिया में

>>

[1] *एंड्रिआना स्कारडिनो, इंप्रूवमेंट्स इन लाइफ एक्सपेंटेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्च्यूरीज एंड स्टेटिस्टीशियंस, ओटावा, कनाडा, 16–18 सितंबर 2009*

[2] *इस अध्ययन में अर्जेंटीना, चिली, जर्मनी, जापान, अमेरिका और उरुग्वे को शामिल किया गया था।*

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1948
सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को शामिल किया गया।

1949
बेलजियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, लक्समबर्ग और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रियों ने सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता पर बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

1952
अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने सामाजिक सुरक्षा पर आईएलओ के प्रमुख समझौते को स्वीकृत किया (सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) समझौता, संख्या 102) जिसमें सामाजिक सुरक्षा की नौ शाखाओं के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया है : चिकित्सा देखभाल, बीमारी के दौरान लाभ, बेरोजगारी लाभ, वृद्धावस्था लाभ, रोजगार के दौरान चोट लगने पर मिलने वाला लाभ, परिवार से संबंधित लाभ, मातृत्व लाभ, अशक्तता लाभ और उत्तरजीविता लाभ।

1964
सामाजिक सुरक्षा की यूरोपीय संहिता और उससे संबंधित प्रोटोकॉल, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में यूरोपीय परिषद का बुनियादी मानक निर्धारक उपाय, को स्वीकृत किया गया। इस संहिता को 1990 में संशोधित किया गया।

© जे.डेलोरमे/आईएलओ

>> निरंतर वृद्धि हो रही है। विश्व स्तर पर बहुत जल्दी वृद्धों की संख्या दोगुनी होने वाली है।

आईएसएसए रिपोर्ट की रचनाकार और उरुग्वे के सोशल इंश्योरेंस बैंक के ऑफिस ऑफ एक्च्यूरियल एंड इकोनॉमिक एवोल्यूशन की प्रमुख एंड्रिआना स्कारडिनो के अनुसार, 'वृद्ध होती आबादी को यूं तो मानव इतिहास की सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए लेकिन यह पारिवारिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर समस्या भी खड़ी करती है। चूंकि हम उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं। वृद्धों की संख्या बढ़ने का अर्थ है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में बदलाव। जैसे स्वास्थ्य बिगड़ने का मतलब है, इन लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की मांग का बढ़ना।'

इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक जीती हैं, इसलिए यह भी सामान्य बात है कि इन समूहों में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। विश्व स्तर पर, 60 साल और उससे अधिक आयु वाले लोगों में 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक वृद्ध (80 वर्ष और उससे अधिक)लोगों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले दोगुनी संख्या में हैं।

इनमें से अधिकतर महिलाएं विधवा हैं, कम शिक्षित हैं और पुरुषों के मुकाबले उनका कार्य अनुभव भी कम ही है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच भी कम है। स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सेवाओं और पेंशन प्रणालियों से संबंधित सार्वजनिक नीतियों पर निर्णय लेने से पहले इन वास्तविकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

लंबी अवधि तक जीने वाले समाज की जीवनक्षमता श्रम बाजार की अनुकूलनशीलता और सामाजिक संरक्षण प्रणालियों की दीर्घकालीनता पर निर्भर करती है।

श्रमशक्ति का वृद्ध होना

वृद्धावस्था का श्रम बाजार पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, चूंकि जीवन संभाव्यता में होने वाले सुधार से लंबे समय तक काम करने के व्यक्तिगत फैसले पर भी असर पड़ता है।

सुश्री स्कारडिनो के अनुसार, 'इस संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि रोजगार में होने वाले परिवर्तनों का पेंशन योजनाओं, सार्वजनिक और निजी, की दीर्घकालीनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। श्रम बाजार का पेंशन योजनाओं पर असर होता है, जबकि वे इसके विपरीत वृद्ध लोगों द्वारा सेवानिवृत्त होने या काम पर बने रहने के फैसले को भी प्रभावित करता है।'

जो लोग आर्थिक रूप से उत्पादक रहने की स्थिति में होते हैं (14 से 64 वर्ष के बीच) और जो उन पर निर्भर रहते हैं (65 वर्ष और उससे अधिक), के बीच संख्यात्मक संबंध समाज में आयु संरचना के प्रभाव को स्पष्ट दर्शाता है। चूंकि जैसे–जैसे समय बीतता जाएगा, उत्पादक आयु वर्ग में कम से कम लोग वृद्ध लोगों को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने लायक बचेंगे।

वृद्ध आबादी की समस्या और आर्थिक वृद्धि एवं श्रम बाजार में भागीदारिता दर साथ–साथ चलते हैं और हमें कम उम्र में सेवानिवृत्ति के प्रति अपने नजरिए में बदलाव की आवश्यकता पर सोचने को मजबूर करते हैं।

सुश्री स्कारडिनो कहती हैं, 'सामान्य तौर पर यह कहना उचित है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा श्रम बाजार में बरकरार रहने और अपनी सेवानिवृत्ति टालने के फैसले से अतिरिक्त आय उत्सर्जित होती है, जो पेंशन को अर्थ प्रबंधित में योगदान देती है। वैसे युवा इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते कि वे अपनी पहले की पीढ़ी से ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकेंगे। फिर भी नियोक्ताओं को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि उन्हें बुजुर्ग कर्मचारियों को काम पर रखना चाहिए और ऐसा करना ही उचित है।'

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

1966
अनुच्छेद 9 में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय सभा ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी जिसमें सामाजिक बीमा भी शामिल था।

1967
उगांडा में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किया गया।

1971
यूरोप में रोजगार प्राप्त लोगों, स्वरोजगार प्राप्त लोगों और उनके परिवार हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने वाले यूरोपीय परिषद विनियम 1408/71 को लागू किया गया। इसे वर्ष 2004 में विनियम 883/2004 में बदल दिया गया।

2001
आईएलओ ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा पर विश्वव्यापी अभियान शुरू किया।

© एस कोपोट / आईएलओ

अर्थ है, रोगों की रोकथाम पर केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल और बीमारियों एवं विकलांगता को आने से रोकना, साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।

चिकित्सकीय सहयोग और पर्याप्त सामाजिक सेवाओं तक पहुंच सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा और स्वस्थ वृद्धावस्था की पूर्वापेक्षा है। ऐसे तरीकों पर विचार करके, जो वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम करने या उनके उपचार के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार करें, वृद्धों का कल्याण संभव होगा और इस प्रकार संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा।

क्या स्वास्थ्य देखभाल पर बहुत अधिक खर्च होगा?

सरकारी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होता है। ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार[3] स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों के हिस्से आता है और उनकी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल लागत 65 वर्ष से कम आयु वाले लोगों से तीन से पांच गुना अधिक होती है। इस बात की आशंका है कि अगर ओईसीडी देशों में वृद्धों की संख्या यूं ही बढ़ती रही तो स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक परिव्यय बढ़ता ही जाएगा।

जनसंख्या में वृद्धों की संख्या के लगातार बढ़ने की इस प्रवृत्ति को 'स्वास्थ्य संक्रमण' से जोड़कर देखा जाना चाहिए जो पूरे विश्व में स्पष्ट नजर आ रहा है। यह बात अलग है कि इसकी गति और तरीके भिन्न–भिन्न हैं।

स्वास्थ्य संक्रमण जिसे 'रोग विज्ञानी संक्रमण' भी कहा जा सकता है, को अंतर्संबंधित परिवर्तन की श्रृंखला के रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें उच्च से निम्न प्रजनन दर का बदलाव, जन्म के समय और उसके बाद जीवन संभाव्यता में तेज वृद्धि और संक्रामक बीमारियों का असंचारी बीमारियों में बदलना शामिल है।

उरुग्वे में, 'स्वस्थ जीवन संभाव्यता' के लिए औसत अंक 66 वर्ष है। इटली और जापान में यह 72.5 और 75 वर्ष है, यानी 70 वर्ष से अधिक। स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल तक व्यक्तिगत पहुंच, जिसमें रोगों की रोकथाम शामिल है, का

पेंशन योजनाओं पर सुधारों का दबाव

वृद्धों की संख्या बढ़ने से पेंशन योजनाओं को दो प्रकार से लाभ होगा : लाभार्थी बहुत अधिक होंगे और वे मौजूदा अवधि से अधिक लंबी अवधि के लिए लाभों पर दावा करेंगे।

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बावजूद अनेक देशों में सेवानिवृत्ति की कानूनी आयु अब भी वही है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले ही

>>

[3] *डैंग टी., एंटोलिन पी., ऑक्स्ले एच., फिस्कल इंप्लिकेशंस ऑफ ऐजिंग : प्रॉजेक्शंस ऑफ एज रिलेटेड स्पेंडिंग, ओईसीडी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वर्किंग पेपर, ओईसीडी, 2001*

© पी.डेलोचे / आईएलओ

सामाजिक सुरक्षा – एक नजर

2002

यूरोपीय संघ के लिए अमर्स्टर्डम संधि (अनुच्छेद 136 और 137) में सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को दोहराया गया। इसी साल मैक्सिको सरकार ने सामजिक सहायता कार्यक्रम ऑपरचुनिडेड्स की शुरुआत की जिसके तहत स्कूलों में नियमित उपस्थिति, स्वास्थ्य केंद्र जाने और पोषाहार सहायता के बदले परिवारों को नकद भुगतान किया जाने लगा। वर्ष 2006 में, मैक्सिको के एक चौथाई नागरिकों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया।

2003

ब्राजील ने विश्व के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रम बोलसा फैमिलिया की शुरुआत की जिससे डेढ़ लाख से ज्यादा गरीब परिवार लाभांवित हुए।

2003

चीन सरकार ने नए ग्रामीण सहकारी चिकित्सा बीमा (एनआरसीएमआई) की शुरुआत की जिसका महत्वाकांक्षी उद्देश्य वर्ष 2010 तक सभी ग्रामीणों को अपने दायरे में लेना है।

2006

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (सीईएससीआर) के अनुसार, विश्व के आधे से अधिक लोगों को किसी प्रकार का सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है और हर पांच में से केवल एक व्यक्ति को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त है।

© एम कोसेट / आईएलओ

>> सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वह भी इसलिए क्योंकि वे पूर्व सेवानिवृत्ति के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इससे स्थिति बदतर हो जाती है।

सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि वृद्धों के लिए पर्याप्त आय की गारंटी लेते समय युवाओं पर ऐसे दबाव न बनाया जाएं जो वे वहन ही न कर सकें। कुछ देशों में, जैसे जापान और इटली, जहां हर 1.5 सक्रिय व्यक्ति पर एक निष्क्रिय व्यक्ति है, स्थिति नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे देशों में व्यवस्था में इस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए कि श्रमिक, श्रम बाजार में लंबे समय तक बने रहें।

अब तक, जनसंख्या पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। शायद इसलिए क्योंकि अधिकतर सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के दायरे में सभी लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। इस तरफ तब ध्यान दिया जाने लगा, जब इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ने लगी।

वृद्धों की संख्या का बढ़ना, अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए चिंता का विषय बनने लगा है, विशेष रूप से जिन्हें पे एज यू गो (पीएवाईजी) प्रणालियों के तहत अर्थ पोषित किया जाता है। ये प्रणालियां तब सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं, जब इनके योगदानकर्ताओं और लाभार्थियों की संख्या स्थिर रहती है। मौजूदा समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सक्रिय श्रमिकों के मुकाबले उन लोगों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है जो सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता है, लेकिन ऐसी व्यापक स्तरीय वित्तीय प्रणालियों में सुधार से राजनैतिक एवं आर्थिक विकल्प की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुलझाना आसान नहीं।

सुश्री स्कारडिनो के अनुसार, 'यह चुनौती वित्तीय संरचना, सार्वजनिक निजी द्विभागीकरण सहित, में बदलाव की सीमाओं से आगे की है और इसे प्रयोजनों एवं उपायों की स्पष्ट पुनर्परिभाषा पर केंद्रित होना चाहिए। इस संदर्भ में, इसमें विभिन्न प्रकार के संस्थानों को शामिल होना चाहिए जो अधिक कारगर तरीके से सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक दूसरे के पूरक हों।'

भविष्य की चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब लोग बूढ़े हों तो उन्हें सुरक्षा के साथ–साथ प्रतिष्ठा भी मिले। वे सामाजिक जीवन में अपने पूर्ण अधिकारों के साथ भागीदारी करते रहें। इसके साथ, वृद्धों के अधिकार अन्य समूहों के लोगों के साथ परस्पर विरोधी न हों और पारस्परिक पीढ़ियों के संबंधों को प्रोत्साहित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र, विश्व की वृद्ध होती जनसंख्या 1950–2050, जनसंख्या प्रखंड)

© आईएलओ / एमएफए

सामाजिक सुरक्षा : संकट के प्रति प्रतिक्रिया

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

वर्ष 2007 में प्रारंभ हुए वित्तीय और आर्थिक संकट ने वित्त की दुनिया को दो साल तक हिला कर रख दिया। अनेक वित्तीय संस्थान संकट में आ गए और सरकारें भंवर में पड़ गईं। जैसा कि उम्मीद लगाई जाती है, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां भी प्रभावित हुईं और सामाजिक सुरक्षा कोषों पर संकट मंडराने लगा। वर्ष 2008 में एसेट पोर्टफोलियो की कीमतें गिरने की वजह से अनेक योजनाओं में संकुचन आया और लंबी अवधि में मिलने वाले उनके लाभों पर असर हुआ। लेकिन संकट का असर कम होने के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों ने बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देनी शुरू की। अब उनके लिए यह चुनौती बनी हुई है कि बढ़ती बेरोजगारी और आगामी ऋणों के दबाव से कैसे निपटा जाए। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) की सोशल सिक्योरिटी ऑबजरवेटरी से जुड़े इआन ऑरटन इस लेख के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पर पड़ने वाले संकट के असर पर नजर डाल रहे हैं।[1]

संकट ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के केंद्रीभूत होने और उनकी मजबूती को रेखांकित किया, साथ ही साथ उनकी कमजोरियों को भी। बढ़ती बेरोजगारी ने अंशधारी राजस्व को प्रभावित किया और लाभ की बढ़ती मांग के कारण परिव्यय में वृद्धि हुई। फिर भी, अनेक सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सामाजिक और आर्थिक संकट के असर को कम करने के उपाय के रूप में अपनाया और उन्हें इस प्रकार तैयार किया कि वे स्वयं संकट का मुकाबला कर सकें।

[1] *यह लेख आईएसएसए के सोशल पॉलिसी हाइलाइट 10, सोशल सिक्योरिटी : रिस्पांडिंग टू द फाइनांशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, www.issa.int/aiss/Resources/Social-Policy-Highlight2 से लिया गया है।*

>>

>> **सामाजिक सुरक्षा के अर्थ पोषण पर संकट का प्रभाव**

दीर्घ काल में, संकट के परिणामस्वरूप अनेक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की भूमिका और कार्यक्षेत्र का पुनर्आकलन किया जा सकता है। लेकिन अल्पावधि में, इन सुरक्षा प्रणालियों के लिए एक चुनौती यह है कि वे किस प्रकार अपना आर्थिक संतुलन बनाए रखें। सामाजिक सुरक्षा कोषों पर मंदी के असर पर आईएसएसए द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण[2] से जानकारी मिली कि अनेक देशों के कोषों, विशेष रूप से औद्योगिकृत देशों के, ने निवेश का नकारात्मक प्रदर्शन किया है।

अनेक देशों की पेंशन प्रणालियों को एसेट पोर्टफोलियो पर भारी घाटा हुआ है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में औद्योगीकृत देशों द्वारा नकारात्मक प्रतिलाभ –29.5 प्रतिशत से –3.2 प्रतिशत के करीब था। लेकिन सभी कोषों को एक समान घाटा नहीं हुआ था। कुछ देशों में (देखें तालिका 1) वित्तीय निवेश रणनीतियां कम जोखिमपूर्ण और अस्थिर साबित हुईं। यह खासकर घरेलू, अचल आय प्रतिभूतियों से संबंधित रणनीतियों के साथ हुआ था, हालांकि ये निम्न औसत वाले प्रतिलाभ उत्पन्न कर रही थीं। अनेक विकासशील देशों ने इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे मैक्सिको को 7.46 प्रतिशत और थाईलैंड को 9.4 प्रतिशत का प्रतिलाभ हुआ था। पेंशन कोषों के हाल के आंकड़े बताते हैं कि कुछ औद्योगीकृत देशों के कोषों ने वर्ष 2009 की दूसरी तिमाही में सकारात्मक प्रतिलाभों के साथ बहाली के संकेत देने शुरू कर दिए हैं।

मध्यम अवधि में सामाजिक सुरक्षा कोषों को अतिरिक्त वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बढ़ती बेरोजगारी दर, अंशदान का कम होना और लाभ हेतु नए दावों के चलते सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर उल्लेखनीय दबाव पड़ता है, विशेष रूप से जब बेरोजगारी लगातार बढ़ रही होती है।[3] उदाहरण के लिए बढ़ते नकद लाभ या नए प्रस्तावित लाभ या कारोबार के लिए अंशदान दरों को स्थिर या कम करना, जो उपभोक्ता परिव्यय को प्रोत्साहित करने और आर्थिक गतिविधियों की मदद के उपयोगी साधन हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वित्तीय असंतुलन के कारण बन सकते हैं। व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अंग के रूप में, ये उपाय सामाजिक सुरक्षा के लिए अर्ध स्थायी वित्तीय दबाव बना सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा को एक जोखिम, बढ़ता घाटा है जिससे आने वाले वर्षों में पर्याप्त लाभ का भुगतान करने की क्षमता सीमित होती है।

इसके अतिरिक्त मध्यम अवधि का एक अतिरिक्त जोखिम है, श्रम बाजार की मंदी की उच्च संभाविता। यह एक वास्तविक संभावना है और अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान के अनुसार, पहले के अनुभवों के मद्देनजर यह संकेत मिलता है कि आर्थिक बहाली के चार से पांच वर्ष बाद ही श्रम बाजार बहाल हो पाता है।[4] यह पूरा परिदृश्य निरंतर श्रम बाजार की समस्याओं से जूझता रहता है और इस बात का अहसास कराता है कि श्रम बाजार के विफल होने पर सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार प्रासंगिक साबित होती है। अगर इसे वृद्ध लोगों के लगातार बढ़ने के दबाव के साथ जोड़कर देखा जाए तो वे सभी कारक समस्या खड़ी कर सकते हैं जिन पर सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से काबू पाया गया था।

2 ला फिगारो, 17 सितंबर 2009. सोमाविया : L'emploi doit etre au rendez-vous de la reprise', www.lefigaro.fr/economie/2009/09/ 17/04001-20090917 ARTFIG00008-juan-somavia-l-emploi-doit-etre-au-rendez-vous-de-la-reprise-.php

3 आईएसएसए सर्वेक्षण : सोशल सिक्योरिटी रिस्पांसेज टू द फाइनांशियल क्राइसिस. आईएसएसए 2009 www.issa.int/aiss/News-Events/News/ISSA-Survey-Social-security-responses-to-the-financial-crisis

4 अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, आईएलओ 2009. द फाइनांशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस : अ डीसेंट वर्क रिस्पांस. www.ilo.org/public/ libdo/ilo/2009/109B09_59_engl.pdf

तालिका 1: आईएसएसए का वित्तीय संकट सर्वेक्षण

बहरहाल, औद्योगीकृत देशों में शेयरों की कीमतों में संकुचन– वर्ष 2008 में 23 प्रतिशत की औसत गिरावट– और ब्याज दरों में एकाएक गिरावट ने वर्तमान और भविष्य के उन सेवानिवृत्त वृद्धों की वित्तीय असुरक्षा बढ़ा दी जो अपनी सेवानिवृत्ति की आय के लिए अधिकतर निजी पेंशन योजनाओं पर निर्भर थे। नतीजतन, कुछ सार्वजनिक पेंशन योजनाओं को राजनैतिक दबाव के चलते उच्च लाभ प्रदान करने को कहा गया, हालांकि वे भी संकट और वृद्ध होती आबादी के चलते जबरदस्त आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे।

सक्रिय कोष प्रबंधन के माध्यम से संकट से निपटना[5]

डेनमार्क के पेंशन संस्थान एटीपी (Arbejdsmarkedets Tilladgspension) ने फंड पोर्टफोलियो के अच्छे प्रबंधन के माध्यम से अपने वित्तीय घाटे को कम करने का प्रयास किया। मंदी की शुरुआत में ही, कंपनी ने इसकी आवश्यकता महसूस कर ली थी। कंपनी ने वित्तीय उपायों को अपनाकर, विदेशी प्रतिभूतियों से अपनी परिसंपत्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा डीडीए एसेट्स को पुनर्आवंटित कर दिया था। परिणामतः वर्ष 2008 के दौरान एटीपी का घाटा –3.2 प्रतिशत पर बरकरार रहा। दूसरी कंपनियों के मुकाबले यह घाटा बहुत कम था और इससे पता चलता था कि कंपनी के प्रयासों ने अच्छा काम किया है। [6]

वर्ष 2009 में, आर्थिक संकट पर आयोजित आईएसएसए के सेमिनार में कंपनी ने अपने प्रयासों का खुलासा किया। [7] इसमें शामिल था :

- अलग पोर्टफोलियो में देय को कम करने के द्वारा अपूरित जोखिमों को कम करना,
- सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन के साथ निवेश पोर्टफोलियो का तीव्र पुनर्आवंटन और वैविध्यीकरण,
- व्यवस्था की संवेदनशीलता की जांच करने के लिए उपयुक्त संकट परिदृश्यों को सामने लाना, जिससे संकट के असर का पूर्वानुमान लगाया जा सके और संभावित घाटे से बचा जा सके।

ऐसे प्रयास दूसरों द्वारा भी किए जा सकते हैं, पर यह सरकारी नियमों और क्षमताओं पर निर्भर करता है। कई बार किसी एक जगह या किसी खास समय पर जो कारक काम करते हैं, वे दूसरी जगह पर काम नहीं कर पाते।

सामाजिक सुरक्षा के ढांचे में सुधार

हाल की मंदी ने अनेक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के वित्त का परीक्षण कर लिया। इसके साथ ही, मंदी ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के ढांचे को सुधारने के लिए विचार और सुझाव भी प्रदान किए हैं। ये इस प्रकार हैं :

- वित्तीय बाजार पर निर्भर पेंशन प्रणालियों की स्थिति कमजोर होती है।
- व्यक्तियों और सरकार एवं पे एज यू गो और पूर्ण अनुदान प्राप्त योजनाओं के बीच जोखिम के उपयुक्त संतुलन की आवश्यकता होती है।
- उपयुक्त निवेश रणनीति को प्रदर्शित किया है।
- पर्याप्त और कारगर नियमों, निरीक्षण एवं निवेश नीतियों की जरूरत होती है।

5 एटीपी ग्रुप, वार्षिक रिपोर्ट 2008. http://loke.datagraf.dk/atp_rapporter/admin/local/pregenerated_reports/report_atp2008_uk_123737165

6 हालांकि इस नतीजे में एटीपी की कटौती की गतिविधियों के परिणामों को शामिल नहीं किया गया है– वे गतिविधियां जो लंबी अवधि के प्रतिलाभों को केंद्र में रखकर नहीं की गई थीं, बल्कि उनका उद्देश्य अल्प और मध्यम अवधि के देय को सुरक्षित रखना था। अगर इन कटौतियों को शामिल किया जाए तो एटीपी को 17.8 प्रतिशत का सकारात्मक प्रतिलाभ प्राप्त हुआ।

7 सोशल सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस : इंपैक्ट, चैलेंजेस एंड रिस्पांसेज पर सेमिनार, जेनेवा. आईएसएसए, 2009. www.issa.int/aiss/News-Events/Seminar-on-Social-Security-in-Times-of-Crisis-Impact-Challenges-and-Responses

>> **राष्ट्रीय बहाली योजना में सामाजिक सुरक्षा की भूमिका**

हालांकि वित्तीय मंदी ने अनेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है, फिर भी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया है, आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए आय स्थानांतरण प्रणाली और नीति उपाय के रूप में। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन की मांग और आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के साथ, नीति निर्धारक इस बात को मान्यता देते हैं कि व्यक्तिगत और पारिवारिक आय को निर्विघ्न रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां एक सशक्त माध्यम साबित होती हैं। सार्वजनिक संरचनाओं में बड़े स्तर पर निवेश की तरह, जिसकी योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने में समय लगता है, नकद लाभ भुगतान थोड़े विलंब के साथ प्रदान किए जा सकते हैं। यह लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें परिवारी जरूरतों के लिए तत्काल और लगातार आय प्राप्त होती रहे।

आगे की ओर नजर

हाल के हफ्तों में अनेक टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि कुछ देशों में मंदी खत्म होने की घोषणा के साथ आर्थिक गिरावट का दौर खत्म होता दिख रहा है। फिर भी अनेक देशों में बढ़ती बेरोजगारी से मानव समाज पर संकट कायम है और इससे संकट प्रबंधन के उपाय के रूप में सामाजिक सुरक्षा संस्थानों की प्रासंगिकता बढ़ती नजर आती है। वास्तव में, इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा की भूमिकाओं पर कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़े जा सकते हैं :

1. सामाजिक सुरक्षा ने प्रदर्शित किया है कि कुल मांग में वृद्धि करके और सामाजिक सुसंगति को सहायता प्रदान करके, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है और इस प्रकार संकट से बाहर निकलने में सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है।
2. सामाजिक सुरक्षा नीति प्रतिक्रिया को सक्रिय श्रम बाजार के साथ समन्वित करना चाहिए जिससे न तो इसके तहत मिलने वाली राहत प्रभावित हों और न ही सामाजिक सुरक्षा लाभों पर लंबे समय तक निर्भरता बनी रहे।
3. सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को हुए घाटे ने भविष्य की उन चुनौतियों से लड़ने की इन प्रणालियों की वित्तीय क्षमता को कमजोर किया है जो सरकारों के सामने नए वित्तीय जोखिम खड़े करती हैं।
4. सामाजिक सुरक्षा नीति प्रतिक्रिया को लंबी अवधि के परिदृश्यों को नजरंदाज नहीं करना चाहिए जो ये सामाजिक सुरक्षा की वित्तीय दीर्घकालिकता को सुनिश्चित करें।
5. इस संकट से प्रदर्शित होता है कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले देश, सामान्यतया, करों के माध्यम से अर्थ पोषित सामाजिक सहायता सहित कई प्रकार की वित्तीय राहत प्रदान करने की स्थिति में होते हैं।

हालांकि मंदी ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी की हैं, इसके माध्यम से नए अवसर भी सृजित हुए हैं। इससे स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां केवल आपातकालीन उपाय नहीं हैं, बल्कि यह समाज के निर्बाध संचालन का अभिन्न अंग भी हैं। संकट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की मौजूदा कमजोरी जरूर रेखांकित हुई है लेकिन सामाजिक एकात्मकता के रूप में सामाजिक सुरक्षा की कीमत भी समझ में आई है। अंततः यह समझना जरूरी है कि अगर सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा नहीं होती तो इस संकट, जिसके ग्रेट डिप्रेशन से भी गंभीर होने की आशंका थी, के और भी अधिक घातक परिणाम हो सकते थे।

स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच: एक अपेक्षित लक्ष्य

© एम क्रोजेट / आईएलओ

विश्व भर में करीब 15 करोड़ लोगों को अपने स्वास्थ्य पर हर वर्ष बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध आय का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा वे अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने को मजबूर होते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 10 करोड़ लोगों[1] को यह चुनना पड़ता है कि वे खाने, कपड़े या मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करें अथवा अपने स्वास्थ्य पर। इस प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें कष्ट और खराब स्वास्थ्य का शिकार होना पड़ता है जिसका असर व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। खराब स्वास्थ्य का असर गरीबी पर पड़ता है जिससे एक बार फिर स्वास्थ्य पर असर होता है। इस लेख में गैरी हंपरेज स्वास्थ्य देखभाल के अपर्याप्त कार्यक्रमों पर प्रकाश डाल रहे हैं।

हालांकि यह केवल विकासशील देशों की समस्या नहीं है (देखें अमेरिका पर साइड बार), पर इतना जरूर है कि विकासशील देशों के बाशिंदे लगातार स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित कार्यक्रमों की कमी का सामना कर रहे हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो उच्च आय वाले देशों में स्वास्थ्य देखभाल का पूरा खर्च सरकार या सामाजिक बीमा संरचनाओं पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए जर्मनी, जहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 33 हजार अमेरिकी डॉलर के करीब है, के लोग केवल 11 प्रतिशत चिकित्सा व्यय का वहन करते हैं। बाकी का व्यय सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या सरकार के कर राजस्व के दायरे में आता है। दूसरी तरफ अधिकतर निम्न आय वाले देशों में लोग अपने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च करते हैं। कांगो का उदाहरण यहां सटीक है जहां की प्रति व्यक्ति आय 120 अमेरिकी डॉलर के लगभग है। यहां के लोग अपने स्वास्थ्य पर जितना खर्च करते हैं, उसका 90 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों की आय से आता है।

इस समस्या से निपटने के लिए हर जगह अलग–अलग

>>

[1] डब्ल्यूएचओ के आंकड़े

>> तरीके अपनाए जाते हैं लेकिन एक सकारात्मक बात जो उभरकर आती है, वह है जोखिम के लिए निश्चित राशि को जमा करने और पूर्वभुगतान पर आधारित ढांचा और कराधान या किसी प्रकार का सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (जहां श्रमिक, नियोक्ताओं द्वारा धन इकट्ठा किया जाता है। सरकारों द्वारा अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। फिर उन्हें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कोष में जमा करा दिया जाता है) ही सबसे बेहतर विकल्प हैं। जोखिम के लिए निश्चित राशि को जमा करने वाली संरचनाओं में, व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर कोष से धन उपलब्ध कराया जाता है। स्वस्थ लोग, बीमार लोगों को अनुदान देते हैं।

जबकि पुनर्भुगतान और जोखिम के लिए निश्चित राशि जमा करना, समतामूलक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए अचल माना जाता है, आईएलओ मान्यता देता है कि सार्वभौमिक विस्तार प्रदान करने के लिए हर देश को अपनी स्थिति के अनुसार, अपने लिए रास्ते तलाशने चाहिए। ऐसे कोई समाधान नहीं जो हर देश द्वारा अपनाए जा सकें, न ही स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली विकसित करने के लिए शुरुआत से प्रयास करने की आवश्यकता है। अनेकवादी या विखंडित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले देशों में, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मध्यम अवधि के लक्ष्य हैं।

थाईलैंड एक अच्छा उदाहरण है। वर्ष 2001 में, थाई सरकार ने सावर्जनिक स्तर पर अर्थ पोषित एक चिकित्सा सुविधा योजना की शुरुआत की और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्ड योजना को नई सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना (यूसी) में बदला। इससे वे लोग भी इनके दायरे में आ गए जो इससे बाहर छूट गए थे। इन योजनाओं में निजी औपचारिक क्षेत्र से लेकर सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों और उन पर निर्भर लोगों को शामिल किया गया। आईएलओ ने थाईलैंड के इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम के साथ कार्य करके स्वास्थ्य बजट का दायरा बढ़ाया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय पर स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रणाली में बदलाव के असर को कम करना संभव हुआ। इसके साथ ही, वित्तीय आवश्यकताओं को समझना और कार्यान्वयन से पहले सेवा प्रदान करने के तरीके को बेहतर बनाया जाना संभव हुआ। सामाजिक भागीदारों और अंततः लाभार्थियों, जिसमें देश के गरीब लोग शामिल हैं, की बात सुनना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मास मीडिया के जरिए नई नीति को संचारित करना भी इसका एक अंग है।

© आर. लॉर्ड / आईएलओ

यूसी कार्यक्रम को मजबूत राजनैतिक प्रतिबद्धता और आवश्यक संसाधनों के प्रावधानों से भी लाभ प्राप्त हुआ। सामान्य कर राजस्व से अर्थ पोषित इस कार्यक्रम को लगातार मजबूती मिलती रही। थाईलैंड का स्वास्थ्य बीमा दायरा 98 प्रतिशत के करीब है जिसमें यूसी कार्यक्रम का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है। बाहरी रोगियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का उपभोग 4.3 प्रतिशत बढ़ गया है और अस्पताल में भर्ती की दर में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

घाना में भी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से सार्वभौमिक दायरा बढ़ाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा परिषद द्वारा समन्वित एवं निरीक्षित किया गया है। यह राष्ट्रीय न्यूनतम लाभ पैकेजेस चलाती है और स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाले लोगों को प्राधिकृत करती है। एक बार फिर आईएलओ ने घाना सरकार के साथ मिलकर, सामाजिक सुरक्षा सुधारों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नीतिगत व तकनीकी परामर्श प्रदान किया है। इसमें गरीबों को बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाने की वित्तीय संभाविता को निर्धारित करना शामिल है।

घाना सरकार ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली (एनएचआईएस) को स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया था। इसमें देश में सभी लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने का उद्देश्य स्पष्ट किया गया था। घाना सरकार अगले पांच से 10 सालों में एनएचआईएस में 50–60 प्रतिशत लोगों को शामिल करना चाहती है लेकिन अभी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

दीर्घकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवा की विफलता के बाद चीन ने वर्ष 1978 में अपनी नीतियों में बदलाव किया। इसके तहत अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर व्यक्ति को खुद ही खर्च करना होता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से मालूम चलता है कि चिकित्सा सेवा पर लोग जहां वर्ष 1980 में अपनी आय का 21 प्रतिशत खर्च करते थे, वहीं वर्ष 2007 में यह खर्च दुगुने से भी अधिक होकर, 45 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2003 से चीन ने अपने चार

© पी.डेलोच / आईएलओ

विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बीमा के दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वर्ष 2003 में जहां 19 करोड़ लोग (कुल आबादी का 15 प्रतिशत) इनके दायरे में आते थे, वहीं वर्ष 2008 में 1.13 अरब लोग (आबादी का 85 प्रतिशत) इससे लाभान्वित हो रहे थे।

अप्रैल 2009 की शुरुआत में, चीन ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में गहन सुधारों पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2020 तक देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी लोगों तक सुरक्षित, कारगर, सुविधाजनक और वहन करने योग्य स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने हेतु बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित की जाएगी। मुक्त बाजार प्रणाली के साथ प्रयोग करते हुए, जोकि आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट पर आधारित होती है, घाना और चीन जैसे देश पुनर्भुगतान और जोखिम के लिए निश्चित राशि जमा करने की प्रणाली पर लौट आए जो कि उचित कीमत पर पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का एकमात्र दीर्घकालीन रास्ता है।

21वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व के सभी देशों के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि सभी लोगों की पहुंच ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं तक हो जिन्हें वहन करना भी आसान हो। आईएलओ का विश्वास है कि सावधानीपूर्ण तैयारी, जो मौजूदा कार्यक्रमों के गहन विश्लेषण पर आधारित हो, और इन कार्यक्रमों की कमियों के प्रति तर्कसंगत रवैया अपनाकर गरीब बहुल समाजों में भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाना संभव है। इसके अतिरिक्त संगठन का यह भी विश्वास है कि स्वास्थ्य बीमा के दायरे को बढ़ाकर ही– जो कि अब कोई विलासिता नहीं है– आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की जा सकती है।

अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा

अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मेडिक्येर, मेडिकेड, चिल्ड्रेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और वेटरेन्स हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, अमेरिका में प्रदान किया जाने वाला स्वास्थ्य बीमा लाभ के आधार पर निजी कंपनियों के खाते में आता है और सामान्य तौर पर यह व्यक्ति के रोजगार से संबद्ध होता है (कुल बीमा की संख्या का 60 प्रतिशत)। अनेक लोग इससे वंचित भी रह जाते हैं। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि साढ़े चार करोड़ (चार करोड़ 57 लाख) लोगों का बीमा नहीं है, जबकि इससे भी अधिक लोगों के पास चिकित्सा पर होने वाले व्यय, अगर उन्हें आवश्यकता पड़े, को वहन करने के लिए किसी प्रकार का कोई बीमा नहीं है। अमेरिकन जरनल ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अमेरिका में व्यक्तियों के दिवालिया होने को सबसे बड़ा कारण चिकित्सा के लिए लिया जाने वाला ऋण है।

इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ऑफ द नेशनल एकैडमी ऑफ साइंसेज का कहना है कि अमेरिका ऐसा अकेला धनी, औद्योगीकृत देश है जो यह सुनिश्चित नहीं करता है कि उसके सभी नागरिक बीमा कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। संस्थान का यह अनुमान है कि बीमा के अभाव में हर साल 18 हजार लोग सही चिकित्सा न मिलने के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। अमेरिकन जरनल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह संख्या 44,800 के करीब है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुधारों पर कांग्रेस ने अपनी बहस में स्वास्थ्य देखभाल को बुनियादी अधिकार बनाने की वकालत की थी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल तक सबकी पहुंच, निष्पक्षता– विशेष रूप से मौजूदा बीमा योजनाओं के संदर्भ में और उसका वहन करने योग्य होना, ये मुद्दे भी इस बहस में शामिल किए गए थे।

वेल– बोदी–ओसूसू*: सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सियरा लिऑन की पहल

वर्ष 2008 के मध्य में, सियरा लिऑन की सरकार ने यह मंतव्य स्पष्ट किया कि वह देश में मुक्त, सार्वभौमिक और स्वास्थ्य देखभाल की अच्छी प्रणाली विकसित करना चाहती है। इस संबंध में सरकार ने आईएलओ के सहयोग से सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के लिए देश के विकल्पों का आकलन किया। पत्रकार स्टीफन डगलस यह जानकारी दे रहे हैं कि सभी के लिए सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकसित करने के लिए सियरा लिऑन किस प्रकार की पहल कर रहा है। स्टीफन डगलस सियरा लिऑन में ही बसे हुए हैं।

58 वर्ष के तेंगबेह कमारा को 13 सितंबर को दोपहर का खाना खाने के बाद एकाएक छाती के बीचों–बीच दर्द होने लगा। वह पूरे दिन दर्द से कराहते रहे। अगले दिन सुबह कमारा को कनॉट अस्पताल के बहिर रोगी विभाग में जांच के लिए ले जाया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। वह अस्पताल में छह दिन और पांच रात रहे। इसकी एवज में उन्हें 3,50,000 ले (लगभग 350 अमेरिकी डॉलर) का बिल थमा दिया गया। इसके अतिरिक्त कमारा के परिवार ने दवाखाने से दवा लाने, खाना, डॉक्टर और नर्सों को भुगतान करने, भर्ती– डिस्चार्ज करने और परिवहन के लिए अलग से धन खर्च किया था।

कमारा की आपबीती बताती है कि सियरा लिऑन में स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों को कितना खर्च करना पड़ता है जिससे वे गरीबी की गर्त में गिरने को मजबूर होते हैं। या यूं कहें कि ऐसी आपबीती के चलते ही हम पश्चिमी अफ्रीका की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर नजर डालने को बाध्य होते हैं। स्वास्थ्य पर इतना अधिक खर्च करना पड़े तो अक्सर लोग इलाज कराने से ही बचते हैं और कई बार बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य केंद्र जाते ही नहीं। यह बात और है कि कई बार बहुत देर हो जाती है।

वैसे यह देश बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध से जूझता रहा है। दशकों तक चले पाशविक गृह युद्ध ने इस देश को गंभीर रूप से प्रभावित किया जिसमें यहां की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी शामिल है। वर्ष 2004 में सियरा लिऑन को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बताया गया। यहां का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 310 अमेरिकी डॉलर था। यहां की 70 प्रतिशत आबादी एक अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति से भी कम पर जीवनयापन करती है और राजधानी फ्रीटाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक अंतराल है (15 और 79 प्रतिशत लोग क्रमशः गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं)।

देश में बेरोजगारी दर भी बहुत ज्यादा है। आईएलओ की वर्ष 2008 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में अल्प बेरोजगारी और बेरोजगारी का स्तर 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। औसत जीवन संभाविता 40 वर्ष के करीब है और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित नवजात में 165 के करीब है। हर एक हजार शिशुओं में से 286 बच्चों की पांच वर्ष का होने से पहले मृत्यु हो जाती है और हर एक लाख महिलाओं में से 1300 से 2000 महिलाएं प्रसव के दौरान मौत का शिकार हो जाती हैं। आधे से भी कम प्रसव (42 प्रतिशत) किसी प्रशिक्षित सहायक की मदद से कराया जाता है और हर पांच में से सिर्फ एक बच्चा किसी स्वास्थ्य केंद्र में जन्म लेता है।

सियरा लिऑन के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सोकोह काबिया के अनुसार, 'हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन हमारे पास एक निश्चित अवधि में इन समस्याओं के समाधान की योजना है।'

स्वास्थ्य मंत्री काबिया का इशारा प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल योजना– द सियरा लिऑन सोशल हेल्थ इंश्योरेंस फंड (स्लेशी) की ओर है जो देश में सभी नागरिकों तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम पहुंचाने की पहल करेगी। स्लेशी के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं की ओर

** स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है।*

से योगदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार सबसिडी प्रदान करेगी और विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, से अनुदान प्राप्त करके उनका उपयोग किया जाएगा। स्लेशी को संसद द्वारा पारित कानून द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा।

सियरा लिऑन सरकार स्वास्थ्य और जनसंख्या, उत्पादकता के स्तरों और देश की आर्थिक वृद्धि के बीच के संबंधों से पूरी तरह अवगत है। स्लेशी की स्थापना को जबरदस्त सहयोग और राजनैतिक इच्छाशक्ति प्राप्त है। स्लेशी का स्लोगन है– 'वेल बोदी ओसूसू' जिसका अर्थ होता है 'स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है।' इस नारे का सुझाव देश के राष्ट्रपति डॉ. अर्नेस्ट बाइ कोरोमा ने दिया है।

केंद्र सरकार ने आईएलओ को आमंत्रित किया है कि वह देश में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के विकल्पों का आकलन करने में तकनीकी सहायता प्रदान करे। संगठन उन देशों को सहायता प्रदान करता है जो समानता, दक्षता और सामाजिक सम्मेलन की अवधारणा को प्रोत्साहित करने वाली स्वास्थ्य रणनीतियों को विकसित करें और पर्याप्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा देने के साथ–साथ दीर्घकालीन और देश की प्रणाली के अनुरूप काम करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आईएलओ ने सियरा लिऑन सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में अनेक विकल्पों का सुझाव दिया। इसमें कहा गया कि सरकार को सबसे संवेदनशील लोगों– गर्भवती महिलाओं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों, बूढ़ों और बहुत गरीबों– को सबसे पहले लाभ प्रदान करने चाहिए।

योगदान राशि को भी ऐसा होना चाहिए जिसे देश का कामकाजी तबका और नियोक्ता वहन कर सकें। स्वास्थ्य और सेनिटेशन मंत्रालय के हेल्थ इकोनॉमिस्ट माइकल अमारा के अनुसार, 'हम परंपरागत चिकित्सकों (जो मान्यता प्राप्त हैं), डॉक्टरों, नर्सों और सभी पेशेवर स्वास्थ्यकर्मियों को एकीकृत करने और एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को विकसित करने पर भी विचार कर रहे हैं जिससे अस्पताल के स्टाफ को होने वाले अनौपचारिक भुगतान से बचा जा सके।' हालांकि सरकार का उद्देश्य रोकथाम पर केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना है।

सियरा लिऑन में यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) की सलाहकर सूसन मशहाना इस योजना से संबंधित लोगों, संगठनों और दाताओं की पड़ताल कर रही हैं। उनके अनुसार, 'इस कार्यक्रम से इतने सारे लोगों के जुड़े होने से यह स्पष्ट है कि लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। हालांकि पहले के प्रयासों के बहुत अच्छे परिणाम सामने नहीं आए थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी मेहनत रंग लाएगी।'

© एस. डगलस/आईएलओ

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सियरा लिऑन की पहल शुरू हो गई है और घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से सियरा लिऑन अपने सभी नागरिकों को सार्वभौमिक तथा अच्छी स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान कर पाएगा।

सभी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की म

© डब्ल्यूबी

नकद हस्तांतरण कार्यक्रम (या सीटी) बहुत लंबे समय से गरीबी उन्मूलन, खपत में वृद्धि और मानव विकास को प्रोत्साहित करने के लोकप्रिय माध्यम रहे हैं। हालांकि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ये अपेक्षाकृत नई पहल है, किंतु मौजूदा समय में बुनियादी कल्याण योजनाएं 30 विकासशील देशों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। इनसे 30 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें इन योजनाओं के अतिरिक्त किसी दूसरे तरह का सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस लेख में श्रम की दुनिया इन कार्यक्रमों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रही है।

विकासशील देशों में रहने वाले बहुत से लोगों के पास आय का एक ही साधन होता है– उनकी नौकरी। अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उनके पास खाना या दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। न ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, इसलिए अगर किसी वजह से उनकी नौकरी चली जाती है तो उनका जीवन ही रुक जाता है।

वैसे नौकरी होने का यह मतलब भी नहीं कि वे गरीबी के दंश से बच सकते हैं : आज, 12 लाख से ज्यादा श्रमिक प्रति दिन दो डॉलर से कम कमा पाते हैं जिसका यह सीधा सा मतलब है कि दुनिया के हर 10 में से चार श्रमिक गरीब हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं महिलाएं, बच्चे और बूढ़े जिन्हें आप संवेदनशील समूह कह सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए नकद हस्तांतरण कार्यक्रम एक वरदान की तरह है। जैसे मौत के मुंह से जिंदगी की ओर आने का एक प्रयास।

सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) नकद हस्तांतरण के प्रमुख प्रकारों में से एक है। विश्व बैंक के अनुसार, 'सशर्त नकद हस्तांतरण लाभार्थियों के साथ सामाजिक अनुबंध के माध्यम से गरीब परिवारों को अनुदान उपलब्ध कराता है।' दूसरे शब्दों में, सरकार नकद लाभ देने की कुछ शर्त रखती है– जैसे बच्चों को नियमित स्कूल भेजना या उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक लेकर आना। सीसीटी बिना अंशदान दिए चलाया जाने वाले कार्यक्रम हैं, यानी इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए गरीब परिवारों को कोई अंशदान नहीं देना पड़ता।

क सुरक्षा : बुनियादी
दद से गरीबी से संघर्ष

सबसे लोकप्रिय सीसीटी है, ब्राजील का बोलसा फैमिलिया कार्यक्रम। यह दुनिया का सबसे बड़ा सशर्त हस्तांतरण कार्यक्रम है जिसे छह साल पहले शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवारों को न्यूनतम आय प्रदान करते हुए गरीबी और असमानता कम करना है। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, जैसे स्कूल में उपस्थिति, टीकाकरण और प्रसूति पूर्व और पश्चात स्वास्थ्य केंद्र आना। इसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गरीबी को कम करने में मदद मिल रही है। बोलसा फैमिलिया के तहत लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या इस साल के अंत तक एक करोड़ 24 लाख (देश की आबादी का एक चौथाई) हो जाएगी। देश में असमानता और गरीबी कम करने में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण और प्रभावी योगदान है। असमानता कम करने में 20 से 25 प्रतिशत और गरीबी कम करने में 16 प्रतिशत।

बोलसा फैमिलिया की तरह मैक्सिको में ऑपचुनिडैड्स नाम का कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे करीब 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए भी माता–पिता (विशेष रूप से माता) को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और बीमार पड़ने पर माता–पिता उन्हें चिकित्सक के पास ले जाते हैं। वर्ष 1997 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को पहले प्रोग्रेसा नाम दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई। बालकों की उपस्थिति में 5 से 8 प्रतिशत और बालिकाओं की उपस्थिति में 11 से 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ। हालांकि इस कार्यक्रम को बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से विकसित नहीं किया गया था लेकिन इस दिशा में भी इसके लाभ स्पष्ट नजर आए। कार्यक्रम के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में यह पाया गया कि 8 से 17 साल के बीच के बच्चों के काम करने की आशंका 10 से 14 प्रतिशत तक कम हुई।

सभी नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का माध्यम बच्चे नहीं बनते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पेंशन योजना का उद्देश्य बूढ़ों की गरीबी को कम करना है। हाल ही में चाइल्ड सपोर्ट ग्रांट्स (सीएसजी) से पहले तक यह पेंशन योजना देश में गरीब परिवारों को सहयोग देने का महत्वपूर्ण स्रोत थी। नामीबिया में भी ऐसी ही एक योजना चलाई जा रही है। इसके तहत देश के 60 साल से अधिक के सभी नागरिक वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए अधिकृत हैं। व्यक्ति की आय या दूसरी किसी प्रकार की पेंशन पाने के बावजूद वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी यही स्थिति है। यहां भी एक खास उम्र पर पहुंचने के बाद व्यक्ति न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।

अनेक नकद हस्तांतरण योजनाओं का सबसे दिलचस्प पहलु यह है कि वे निश्चित प्रयोजनों के अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रही हैं। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन से व्यक्ति की स्थिति में सुधार आता है, जो अन्यथा परिवार के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। अब लोग वृद्धावस्था पेंशन के चलते परिवार में बुजुर्गों की इज्जत और उनकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार ऐसी योजनाओं से लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलता है, चूंकि इनकी मदद से परिवार में महिला की स्थिति सशक्त होती है और उनका आत्मसम्मान बरकरार रहता है। इन कार्यक्रमों ने नागरिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायता की है। ब्राजील के एक कार्यक्रम प्रेविडेंसिया रूरल की ही वजह से सेवानिवृत्त ग्रामीण श्रमिक, अपने श्रमिक संगठनों में नियमित अंशदान दे पाते हैं।

गरीबी और सामाजिक असमानता कम करने के उद्देश्य पूरा करने के बावजूद नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों को कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी आलोचना तो इस बात की होती है कि इसके तहत सशर्त मदद दी जाती है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे 'पैतृत्व झटका' कहते हैं जो संभावित लाभार्थियों पर अतिरिक्त शर्त लादने की कार्यक्रम अधिकारियों की बुनियादी प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। दक्षिण अफ्रीका यहां भी एक मिसाल कायम करता है। यहां सरकार के चाइल्ड सपोर्ट ग्रांट (सीएसजी) को सशर्त प्रदान किया जाता है, पर अनुमान है कि 90 प्रतिशत बच्चे इस अनुदान को प्राप्त नहीं कर पाते। हां, एक बार जब यह शर्त हटा दी गई तो 58 प्रतिशत बच्चों ने लाभ प्राप्त कर लिया।

किंतु अगर समग्र रूप से देखा जाए तो गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण और लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति पर नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का बहुत सकारात्मक असर हुआ है, विशेष रूप से महिलाओं पर। फिर भी अभी रास्ता लंबा है। दुनिया के 5.3 अरब लोगों (कुल आबादी का 80 प्रतिशत) को किसी प्रकार का कोई सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। नकद हस्तांतरण कार्यक्रम इस दिशा में पहला सकारात्मक कदम तो कहा ही जा सकता है।

सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, ब्राजील की मिसाल

© एम क्रोजेट / आईएलओ

पिछले कई सालों से लैटिन अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण और प्रोत्साहन में ब्राजील अग्रणी रहा है। देश के सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र विस्तार और नयेपन के लिए व्यापक स्तर पर मान्यता मिली है। ब्राजील के सामाजिक सुरक्षा उपमंत्री कार्लोस एडुवर्डो गबास को हाल ही में आईएलओ में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की रणनीतियों पर गठित त्रिपक्षीय समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। यहां *श्रम की दुनिया* के साथ वह ब्राजील में किए अपने कार्य के अनुभव बांट रहे हैं।

1) पिछले दशकों में ब्राजील ने गरीबी कम करने में बड़ी सफलता पाई है। इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा ने क्या भूमिका निभाई है?

कार्लोस एडुवर्डो गबास– वर्ष 2003 में राष्ट्रपति लुला द सिल्वा की सरकार ने पदभार संभालने के साथ जो कार्यक्रम शुरू किए, सामाजिक सुरक्षा योजना उसके केंद्र में थी। हमारे यहां की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की तीन शाखाएं हैं– स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता और पेंशन प्रणाली– इनमें से प्रत्येक एक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य प्रणाली सार्वजनिक और निशुल्क है और सभी को उपलब्ध है। सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए बोलसा फैमिलिया जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और बूढ़ों एवं विकलांगों को एक निश्चित मूलभूत राशि दी जाती है। हमारे देश की पेंशन प्रणाली एकात्मकता की अवधारणा पर आधारित है यानी जो लोग काम करते हैं, वे उन लोगों को सहायता देते हैं जो सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंच गए हैं। इन तीन प्रणालियों और उनसे संबंधित नीतियों ने ब्राजील में गरीबी उन्मूलन और आय के पुनर्वितरण में मुख्य भूमिका निभाई है। शुरुआत में, निजी कंपनियां इस बात के लिए चिंतित थीं कि लुला सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नीतियां महंगी होंगी और बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होंगी क्योंकि इनका उद्देश्य सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। पर समय ने इस आशंका को गलत साबित कर दिया। उदाहरण के लिए वर्ष 2003 सरकार ने पेंशन प्रणाली को दिया जाने वाला अनुदान कम कर दिया, जबकि श्रमिकों का अंशदान बढ़ गया। आर्थिक मंदी के बावजूद पिछले साल का पेंशन अंशदान बहुत अधिक था। इसी से साबित होता है कि सामाजिक सम्मिलन और आर्थिक विकास एक दूसरे के अनुकूल हो सकते हैं।

2) क्या आर्थिक संकट के चलते ब्राजील की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर कोई दबाव नहीं पड़ा? इस मुद्दे पर सरकार ने क्या कार्य किया?

सीईजी– जब आर्थिक संकट की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति लुला ने तभी यह तय कर लिया था कि सामाजिक संरक्षण तक पहुंच को बढ़ाया जाए। उसे विस्तार दिया जाए। संकट के दौरान गरीबों के प्रति सरकार की चिंता और अधिक स्पष्ट हुई। हमने रोजगार को सुरक्षित रखने, बेरोजगारों को सहायता देने और घरेलू खपत को सुरक्षित रखने के उपाय किए। इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि दूसरे देशों के मुकाबले ब्राजील में आर्थिक बहाली तेज गति से हुई।

3) लैटिन अमेरिका के कुछ देशों (जैसे चिली) में निजी पेंशन प्रणालियां भी हैं। कुछ देशों (जैसे अर्जेंटीना) में ये प्रणालियां सरकार द्वारा चलाई जाती है। ब्राजील में यह निजी–सार्वजनिक, दोनों स्तरों पर चलाई जाती हैं। यह करना कैसे संभव होता है?

सीईजी– ब्राजील ने अपनी पेंशन प्रणाली के लिए किसी दूसरे देश के मॉडल को आयातित करने के बारे में नहीं सोचा। ऐसा बहुत बार हुआ कि कुछ क्षेत्रों ने पेंशन प्रणाली

का निजीकरण करने की कोशिश की लेकिन सांसदों– विशेष रूप से वामपंथी पार्टियों के सांसदों ने हमेशा इस विचार को खारिज किया। ब्राजील ने पेंशन प्रणाली का अपना मॉडल बनाया जिसे तीन योजनाओं में विभाजित किया गया। लोक सेवकों (नागरिक और सैन्य) के लिए भी एक योजना है, एक योजना साधारण श्रमिकों के लिए है और एक योजना उन लोगों के लिए है जो सेवानिवृत्त होने के बाद अतिरिक्त आय हासिल करना चाहते हैं। तीसरी योजना निजी क्षेत्र से संबद्ध है। पिछले कुछ सालों में इस मॉडल में बदलाव हुए हैं। वर्ष 2003 में जब लुला ने राष्ट्रपति पद संभाला तब उन्हें पता चला कि लोक सेवकों की योजना बहुत खर्चीली साबित हो रही है, इसलिए उन्होंने कुछ संसाधनों को साधारण श्रमिकों की योजना में हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने प्रति वर्ष न्यूनतम पेंशन फ्लोर को बढ़ाकर उसे न्यूनतम 10 कार्य दिवस का वेतन कर दिया। शुरुआत में निजी क्षेत्र ने इसका विरोध किया। निजी क्षेत्र का कहना था कि सरकार पेंशन प्रणालियों में हस्तक्षेप कर रही है। हम इस बात से इनकार तो नहीं करते लेकिन हमने उन्हें समझाया कि हम यह हस्तक्षेप सभी श्रमिकों के फायदे के लिए कर रहे हैं। इसके पीछे यह विचार था कि जब लोग सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंचें, तो उन्हें न्यूनतम पेंशन जरूर प्राप्त हो। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं– और उसका वहन कर सकते हैं– वे लोग निजी योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। इस तरह सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है।

© एस.जोरडाओ / आईएलओ

4) बोलसा फैमिलिया ब्राजील का मुख्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बना और लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों में इसकी तर्ज पर कार्यक्रम चलाए गए। यह इतना सफल कार्यक्रम कैसे बना?

सीईजी– ब्राजील में भुखमरी के शिकार बहुत से लोग हैं। यह मनुष्य जाति की समस्या है। राष्ट्रपति लुला ने जिस दिन कुर्सी संभाली, उन्होंने कहा– हरेक व्यक्ति को दिन में तीन बार खाना खाने का अधिकार है। उनकी यही सूक्ति उनके सभी सामाजिक कार्यक्रमों, जैसे बोलसा फैमिलिया, का कारण बनी। यह एक नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है जिसे पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। उदाहरण के लिए इसे प्राप्त करने के लिए गरीब औरतों को यह शर्त पूरी करनी होती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी और उन्हें पूरे टीके लगवाएंगी। गर्भवती औरतों को यह सहायता प्राप्त करने के लिए यह शर्त पूरी करनी होती है कि वे गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर के पास जाएंगी। तो, इसके साथ–साथ स्वास्थ्य और शिक्षा का पहलु भी जुड़ा हुआ है। पर हमने यह भी पाया कि इस कार्यक्रम की मदद से लोगों को गरीबी से निजात पाने में तो मदद मिली ही, श्रम बाजार में उनका दाखिला भी संभव हुआ। एक व्यक्ति, जिसके पास पेट भर खाना है, शरीर ढंकने के लिए कपड़ा है और एक अच्छी जिंदगी है, उसके लिए अपने लिए नौकरी तलाशना भी आसान है। भूखे पेट तो वह नौकरी भी नहीं ढूंढ सकता है। राष्ट्रपति लुला का मुख्य उद्देश्य ब्राजील के प्रत्येक नागरिक को उत्कृष्ट जीवन की गारंटी देना है जिससे सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, सभी नागरिक देश की तरक्की का हिस्सा बन सकें।

5) ब्राजील के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (आईएनएसएस)ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि वहां 60 साल के पुरुष अपने से आधी उम्र की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी युवा विधवा पेंशन लाभ हासिल करती हैं, जो सरकारी अपेक्षा से बहुत अधिक है। क्या यह भी एक समस्या है? इस बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं?

सीईजी– हम इस समस्या से वाकिफ हैं। यह कानून की त्रुटि है। मैं इसे त्रुटि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि एक युवा या युवती अपने से बहुत अधिक उम्र वाले व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकते। वर्ष 2007 में आयोजित पेंशन फोरम के दौरान इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा हुई थी। इस फोरम में सरकारी, श्रमिक और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अनेक गैर सरकारी संगठनों के लोगों और शिक्षाविदों ने भाग लिया था। दरअसल हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि युवा बुजुर्गों से शादी सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि उन्हें उनकी मृत्यु के बाद पेंशन हथियानी है। जब अगली बार कानून में संशोधन किया जाएगा, तब इस समस्या से निपटा जाएगा।

कमजोर वृद्ध : लंबे समय से देखभाल की जरूरत

© एम क्रोजेट / आईएलओ

जैसे–जैसे वृद्धों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, निराश्रित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। आज के दौर में वृद्धों को औसत पेंशन मिल रही है, उससे शायद ही उनकी अच्छी तरह से देखभाल की लागत निकल पाती हो। इसी कारण कुछ देशों ने ऐसी अनिवार्य बीमा प्रणालियां अपनाई हैं, जिससे परिवार के बूढ़े सदस्यों को मदद मिले और उसका कुछ भार राज्य और आम लोग वहन करें। एंड्रयू बिबी विकासशील और उभरते देशों में कायम ऐसी ही प्रणालियों की पड़ताल कर रहे हैं।

यह एक ऐसी कहानी है जिससे ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रेस हिल गया। यह एक ऐसी महिला डॉक्टर की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन सभी को निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल देने की दिशा में समर्पित कर दिया था। नब्बे साल की होने पर उन्हें एक स्ट्रोक हुआ और अपनी बाद की जिंदगी उन्हें नर्सिंग होम में बितानी पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस काम को समर्पित की, उस काम की एवज में उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल सका, इसलिए उनके परिवार को उनके इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ा।

उनकी बेटी ने गुस्से में कहा था : 'मेरी मां उन साहसी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने उस समय डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया था, जब सिर्फ एक अस्पताल महिला मेडिकल स्टूडेंट्स को दाखिला दिया करता था।' उनकी बेटी ने प्रेस से कहा था कि उसकी मां को अगर यह मालूम चलता कि उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली तो उन्हें बहुत दुख होता।

जिस प्रकार दीर्घावधि की स्वास्थ्य देखभाल का वित्त पोषण किया जाता है, उस तरीके पर न केवल ब्रिटेन, बल्कि विश्व के अनेक देशों में चर्चा की जाती है। इस तरह की देखभाल मुख्यतया बूढ़े लोगों के लिए होती है और लगभग हर विकसित देश में 80 पार के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दीर्घावधि की देखभाल, दूसरे शब्दों में कहें तो, सार्वजनिक नीतियों के लिए चिंता का विषय है। सलाहकार बताते हैं कि वर्ष 1945 के बाद जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी 'बेबी बूमर्स' भी आने वाले बीस सालों में बूढ़े होने वाले हैं।

दीर्घावधि की देखभाल में बुनियादी चिकित्सा सेवा और रोजाना की सामान्य गतिविधियों (जैसे कपड़े धोने, नहाने, कपड़े पहनने, खाना खाने, बिस्तर पर लेटने–बिस्तर से उठने, आने–जाने और बाथरूम का इस्तेमाल करने) में मदद के साथ पुनर्वास शामिल है। किसी स्ट्रोक, हृदय रोग, स्मरण शक्ति खत्म होने (अल्जाइमर्स) या किसी दूसरी तरह की शारीरिक असमर्थता या मानसिक दशा बिगड़ने पर भी ऐसी मदद की जरूरत पड़ती है।

पहले बूढ़ों की देखभाल का जिम्मा परिवार के सदस्यों का होता था, विशेष रूप से महिलाओं का, जो कि बूढ़े लोगों के साथ ही घर में रहती थीं। लेकिन सामाजिक बदलाव हुए और स्थिति बदल गई। बहुत से लोग यह मानते हैं कि परिवार के सदस्यों द्वारा ही वृद्धों की देखभाल करना, एक अच्छा तरीका था, फिर भी ऐसे प्रबंधन बीते दिनों की बात हो गए। अब बच्चे बड़े होने पर परिवार से दूर रहने लगे और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। इसका सीधा असर बूढ़ों की देखभाल पर पड़ा।

इसका सबसे आसान तरीका यह है कि सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों में दीर्घावधि की देखभाल को भी शामिल किया जाए। कोरिया गणराज्य ने ऐसा ही एक प्रबंध किया है। वहां वृद्धों के लिए दीर्घावधि की बीमा प्रणाली को प्रस्तावित किया गया है। यहां की नौ प्रतिशत आबादी (या 50 लाख लोग) 65 साल से अधिक उम्र के हैं और इनमें से 10 लाख के करीब स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने, दिल की बीमारियों और दूसरी बीमारियों के शिकार हैं। कोरिया में भी वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2020 तक वहां की 15 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष से ऊपर की हो जाएगी और वर्ष 2030 तक देश की एक चौथाई आबादी इस समूह में शामिल हो जाएगी।

कोरिया ने सामाजिक बीमा के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मकता के सिद्धांत को स्वीकार किया। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों ने जिस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विकसित किया है, यह उन्हीं में से एक है। आईएलओ को कोरिया के इस प्रयास में खासी रुचि है। संगठन अपनी स्थापना के समय से ही सामाजिक संरक्षण के पर्याप्त स्तरों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है।

पिछले साल नई सामाजिक बीमा नीति लागू करने के बाद कोरिया भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया जो सामाजिक नीति के माध्यम से दीर्घावधि की देखभाल प्रदान कर रहे हैं। यहां जर्मनी का उदाहरण भी लिया जा सकता है। वर्ष 1995 में यहां सार्वजनिक नीति प्रस्तावित की गई जो देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध है। यहां नियोक्ता व कर्मचारी, स्वरोजगार प्राप्त और सेवानिवृत्त, सभी लोग अंशदान का भुगतान करते हैं जोकि अनेक सालों से देश की 1.7 प्रतिशत सकल आय बन चुकी है। जब इस योजना की शुरुआत हुई, तब लाभ भी निर्धारित किए गए थे जिसका अर्थ यह है कि तब से अब तक योजना के वास्तविक लाभ में धीरे–धीरे गिरावट हुई है।

पिछले साल जर्मनी ने लाभ के स्तरों और अंशदान की दरों में संशोधन किया जो अब बढ़कर 1.95 प्रतिशत हो गई है (जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है)। इन बदलावों पर तत्कालीन संघीय स्वास्थ्य मंत्री उला श्मिड का कहना है कि हम बूढ़े लोगों की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहते हैं।

वृद्धों की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना

उला का बयान बताता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। सरकार अधिक संसाधन देने, घर और संस्थागत देखभाल को एकीकृत करने और परिवारों को बूढ़ों की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित करने को प्रतिबद्ध है। आईएलओ का लक्ष्य यह है कि सभी को स्वास्थ्य देखभाल मिले, पर इसका माध्यम सिर्फ चिकित्सा देखभाल देना नहीं है। हम समाज में एकीकरण को बढ़ावा देकर, सामाजिक आयामों पर ध्यान देते हुए यह कार्य करना चाहते हैं। ऐसा कहना है आईएलओ की वरिष्ठ स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ जेनिया श्हेल एडलुंग का।

जेनिया के अनुसार, इसी प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि घर पर या किसी संस्था में जिस प्रकार की सेवा प्रदान की जा रही है, उसे देखते हुए वस्तु और नकद, दोनों प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं। दोनों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि इनका लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे। वह कहती हैं, 'दूसरा पहलु देखभाल की गुणवत्ता को

>>

© एएफजीबी.

>> सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से अगर नकद लाभ प्रदान किया जा रहा है तो गुणवत्ता के क्या मायने होंगे। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि बहुत कमजोर बूढ़े लोगों को अपनी उम्र के कारण उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।'

बूढ़ों के लिए दीर्घावधि की देखभाल की लागत भी तीसरा महत्वपूर्ण पहलु है। वर्ष 2005 में ओईसीडी देशों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, यह अलग–अलग देशों में अलग–अलग है : स्वीडन और नार्वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.74 प्रतिशत और 2.15 प्रतिशत इस दिशा में व्यय करते हैं, जबकि अन्य विकसित देशों में दीर्घावधि की देखभाल पर बहुत कम व्यय किया जाता है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.68 प्रतिशत और आयरलैंड में 0.62 प्रतिशत ही इन योजनाओं पर खर्च किया जाता है। हालांकि इन देशों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

ओईसीडी ने महिलाओं की परंपरागत भूमिका पर भी बहुत ध्यान केंद्रित किया है जो परिवार की देखभाल से जुड़ा रहा है। संगठन का कहना है कि अपंग बूढ़े लोगों की देखभाल का जिम्मा गैर आनुपातिक रूप से सिर्फ महिलाओं पर नहीं डाला जाना चाहिए। इस मुद्दे पर जापान में व्यापक चर्चा हुई। यहां बूढ़ों की देखभाल से जुड़े गोल्ड प्लान (जो बहुत महंगी योजना है) में सुधार की बात कही जा रही थी। चर्चा में इस बात पर चिंता जताई गई कि महिलाएं कई बार अपनी परंपरागत जिम्मेदारी के कारण बहुत बंधा हुआ महसूस करती हैं। वर्ष 1996 में स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि 'कुछ परिवारों में परिवार के सदस्यों द्वारा बूढ़ों की देखभाल करना बंद कर दिया गया।'

लैंगिक समानता के मुद्दे से अलग एक बात और है। अगर महिलाएं देखभाल की जिम्मेदारी उठाने के लिए काम करना छोड़ देंगी तो दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। ओईसीडी का कहना है कि यूरोपीय देशों से मिले उदाहरणों से साफ है कि अगर महिलाएं देखभाल की जिम्मेदारी उठाती हैं तो वैतनिक काम के उनके घंटे कम होते हैं और बाद के वर्षों में वे पूर्णकालिक रोजगार में वापस नहीं लौट पातीं। ओईसीडी रिपोर्ट का कहना है : 'दीर्घावधि की देखभाल पर होने वाले मौद्रिक व्यय पर विचार करना, दीर्घावधि की देखभाल की आर्थिक लागत नियत करने का संकीर्ण माध्यम

© एम क्रोजेट / आईएलओ

है, चूंकि यह परिवार के सदस्यों द्वारा देखभाल की अवसरवादी लागत को नजरंदाज करता है, जो अन्यथा वैतनिक श्रम में कार्यरत होते।'

बेशक, यह कोई समाधान नहीं कि हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में फेंक दें और वे अपनी जिंदगी का आखिरी समय ऐसे माहौल में बिताने के मजबूर हों जहां उनकी परवाह करने वाला कोई न हो, प्यार करने वाला कोई न हो। पर यह भी सच है कि वृद्धों का शारीरिक और वित्तीय बोझ सिर्फ परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जाना चाहिए। हमारे समाज के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार कार्य के घंटों को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पीढ़ियों के बीच सौहार्द्र बढ़े। जर्मनी, जापान और कोरिया गणराज्य में उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि नई तरह से परंपरागत सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

संकट के दौर में बेरोजगारी बीमा

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, नौकरियों गंवा चुके श्रमिकों की मदद देने वाले कार्यक्रम श्रम बाजारों का मुख्य विशेषता थे और आज यह विश्व के 70 से अधिक देशों में चलाए जा रहे हैं। पर तब भी ये विवाद के घेरे में थे, और आज भी हैं। श्रम की दुनिया ने इसी मुद्दे पर श्रम बाजार विशेषज्ञ जेनाइन बर्ग से अधिक जानकारी हासिल करनी चाही। जेनाइन आईएलओ विशेषज्ञ हैं।

श्रम की दुनिया – विश्व व्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के संदर्भ में बेरोजगारी बीमा कितना महत्वपूर्ण है?

जेनाइन बर्ग– हाल के अंतरराष्ट्रीय संकट ने एक बार फिर बेरोजगारी बीमा की महत्ता स्पष्ट की है। बेरोजगारी बीमा नौकरी छूटने पर श्रमिकों पर आने वाले वित्तीय बोझ को न केवल कम करता है, बल्कि खपत बढ़ाकर मंदी के असर को कम करने में भी मदद करता है। अनेक देशों में बेरोजगारों को संरक्षण देने वाली योजनाओं का अभाव है, जबकि बहुत से देशों में योजनाएं तो हैं, पर सभी लोग उनके अंतर्गत नहीं आते। संकट के दौर में, नीति प्रतिक्रिया के रूप में, बेरोजगारी बीमा को महत्व देते हुए विभिन्न देशों को नए कार्यक्रमों को प्रस्तावित करना चाहिए और मौजूदा कार्यक्रमों को विस्तार देना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों ने बेरोजगारी लाभों को संकट पर अपनी वित्तीय प्रतिक्रिया के अंग के रूप में शामिल किया। किसी को बेरोजगारी बीमा देने की अवधि बढ़ाना एक महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन इनके साथ ही ऐसी नीतियों की भी जरूरत है जिनके तहत उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो जिन्हें अब तक ऐसे लाभ नहीं मिले हैं।

श्रम की दुनिया – बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति के अन्य तरीके क्या हैं?

जेनाइन बर्ग– बेरोजगारों को अन्य तरीकों से भी क्षतिपूर्ति दी जाती है– पृथक्कण के फलस्वरूप वेतन, बेरोजगारी बीमा, बेरोजगारी सहायता, श्रम योजनाएं और परंपरागत तरीके से राहत प्रदान करके। इनमें से प्रत्येक प्रकार अलग–अलग

© एम क्रोजेट/आईएलओ

नीतिगत लक्ष्यों से संबद्ध है। इनके सहवर्ती लाभ भी हैं और कई स्थितियों में श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को इनसे असुविधा भी है। फिर भी ऐसे सभी कार्यक्रम श्रमिकों की मदद करते हैं कि वे अपनी नौकरी छूटने की समस्या से निपट सकें और इस प्रकार मंदी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिलती है।

श्रम की दुनिया – बेरोजगारों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सहायता के बीच क्या अंतर है?

जेनाइन बर्ग– जब कोई नियोक्ता रोजगार अनुबंध को समाप्त करके, किसी कर्मचारी को काम से हटाता है तो उसे पृथक्करण वेतन दिया जाता है। पृथक्करण वेतन कानून के अधीन कंपनियां अपनी श्रमशक्ति पर अधिक निवेश करती हैं, श्रमशक्ति संबंधी अधिक संयोजनों के कारण। आलोचकों का कहना है कि यह नीति गतिशीलता का उल्लंघन करती है, जोकि आर्थिक संकट के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को और बदतर कर सकती है, और अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो श्रमिकों को मिलने वाले लाभों से हाथ धोना पड़ सकता है।

>>

© जे.डेलोरमे / आईएलओ

>> बेरोजगारी बीमा का वित्त पोषण नियोक्ताओं, श्रमिकों और सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान से होता है। इसके माध्यम से निकाले गए श्रमिकों को वित्तीय संरक्षण मिलता है, साथ ही साथ यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिकों के पास ऐसी दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए पर्याप्त समय है जो उनके दक्षता के स्तर के अनुकूल हो। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की समूची उत्पादकता में सुधार होता है और पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुकर होती है। फिर भी, इस योजना की यह कहते हुए आलोचना की जाती है कि अगर बेरोजगारी लाभ बहुत ज्यादा हुए तो श्रमिक काम करने की बजाय खाली रहना ही पसंद करेंगे।

बेरोजगारी सहायता एक परीक्षित कार्यक्रम है जो उन श्रमिकों की मदद करता है जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं। परंपरागत तरीका, यानी राहत कार्यक्रम भी सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को सामाजिक सहायता देते हैं। श्रम कार्यक्रम के तहत काम के बदले न्यूनतम या उससे थोड़ा कम वेतन दिया जाता है, कभी–कभी वेतन की बजाय उतने ही मूल्य की वस्तु देकर भुगतान किया जाता है।

श्रम की दुनिया – ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बेरोजगारों को सहायता देने की अवधारणा को स्वीकार करने में लोगों को बहुत वक्त लगा?

जेनाइन बर्ग– सरकार प्रायोजित सामाजिक सहायता की शुरुआत वर्ष 1598 में इंग्लिश पुअर लॉज के साथ हुई थी। इसके तहत महिलाओं, बच्चों और गरीब बूढ़ों को वित्तीय सहायता दी जाती थी। 19 वीं शताब्दी में, श्रमिक संगठनों, श्रमिक संघों और अन्य समूहों की वजह से बेरोजगारों को सहायता दिए जाने की बात की जाने लगी। पर विभिन्न देशों की सरकारें बेरोजगारों को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने को राजी नहीं थीं। ऐसा वर्ष 1905 तक चलता रहा। बीसवीं शताब्दी में ही ऐसी क्रांतिकारी प्रणाली लाई गई जिसके तहत बेरोजगारी बीमा जैसे प्रबंध पर लोगों की सहमति बनी।

आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में वर्ष 1919 में सबसे पहले जिस सिफारिश को स्वीकृति दी गई, वह बेरोजगारी से जुड़ी सिफरिश थी। इसके तहत सिफारिश की गई थी कि संगठन के प्रत्येक सदस्य देश को बेरोजगारी बीमा की कारगर प्रणाली को स्थापित करना चाहिए। तब अनेक यूरोपीय देशों में स्वैच्छिक आधार पर योजनाएं शुरू की गईं और फिर प्रतिस्थापन दर और लाभ की अवधि बढ़ाकर उन्हें अनिवार्य और उदार बनाया गया। 1990 तक एक निश्चित अवधि, जैसे छह महीने से लेकर एक साल, तक इस लाभ को लेने के लिए अतिरिक्त शर्त लगाई जाती थी, जिससे श्रम बाजार एकीकरण को सुधारा जा सके और लंबे समय तक बेरोजगारी के स्तर को कम किया जा सके।

श्रम की दुनिया – अनेक श्रम बाजारों की बढ़ती अनौपचारिकता को देखते हुए क्या बेरोजगारी बीमा उचित पहल है?

जेनाइन बर्ग– विकासशील देशों में शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की मौजूदगी निरीक्षण को कठिन बनाती है। जैसा आलोचक कहते हैं, यह लोगों के लिए फायदेमंद है कि वे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करें जिससे उन्हें बेरोजगारी लाभ मिलते रहें। फिर भी अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में यह बात कही जा सकती है कि बहुत से श्रमिकों को लाभ प्राप्त नहीं भी होता। यहां सबसे जरूरी यह बात है कि ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे श्रमशक्ति की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार को सक्रिय श्रम बाजार नीतियों के साथ किसी प्रकार की बीमा प्रणाली, जिसे सरकार, नियोक्ता व श्रमिक वित्त पोषित करें, चलानी चाहिए। इन नीतियों का वित्त पोषण भी तो सरकार ही करती है। इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, श्रम कार्यक्रम, उद्यमों को रोजगार सबसिडी और श्रम बाजार से संबद्ध सेवाएं शामिल की जा सकती हैं।

श्रम की दुनिया– क्या बेरोजगारी बीमा विकासशील देशों के लिए उपयुक्त है?

जेनाइन बर्ग– आज के मध्यम आय वाले विकासशील देश धनी और औद्योगीकृत हैं, उतने ही जितने विकसित और औद्योगीकृत देश तब थे, जब उन्होंने बेरोजगारी बीमा की शुरुआत की थी। अगर मध्यम आय वाले विकासशील देश निश्चित करें कि वे बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम स्वीकृत करते हैं, तो उन्हें दूसरे कार्यक्रमों की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे लोक कार्य या प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिससे यह सुनिश्चित हो कि कठिन समय में संरक्षण कार्यक्रमों तक अनौपचारिक श्रमिकों की पहुंच भी बने।

संकट के दौर में सामाजिक संरक्षण

वित्तीय संकट रोजगार को दीर्घकाल तक प्रभावित करता है। बेरोजगारी दर को भी संकट पूर्व के स्तर तक वापस लौटने में औसतन पांच साल लग जाते हैं। हां, श्रम बाजार की बहाली में हर देश को अपना–अपना, भिन्न–भिन्न समय लगता है। अर्जेंटीना और कोरिया गणराज्य दो ऐसे देश हैं जहां संकट के दौरान ऐसे रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए जिनके परिणामस्वरूप उन देशों को संकट पूर्व के रोजगार स्तर तक वापस लौटने में तीन साल का समय लगा।

© आर. लॉर्ड / आईएलओ

यहां संकट प्रतिक्रिया के केंद्र में निम्नलिखित बिंदु थे :

- व्यापक रोजगार उपाय : अर्जेंटीना के जेफ्स कार्यक्रम ने उन परिवारों को सहयोग प्रदान किया जिनका मुखिया वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुआ था। इस कार्यक्रम से 11 प्रतिशत सक्रिय आबादी को लाभ प्राप्त हुआ और बेरोजगारी 2.5 प्रतिशत बिंदु तक कम हुई। इसकी लागत, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 0.5–1 प्रतिशत थी, अपेक्षाकृत सीमित थी। कोरिया गणराज्य के सक्रिय श्रम बाजार कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के इच्छुक लोगों की दक्षता और कार्य अनुभव में सुधार हुआ। संकट के प्रारंभ होने के तत्काल बाद इस कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालीन बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्करण के जोखिम में कमी आई। लोक निर्माण कार्यक्रम ने 70 प्रतिशत बेरोजगारों (यहां बेरोजगारों की कुल संख्या 17 लाख है)को रोजगार प्रदान किया जिससे बेरोजगारी दर में दो प्रतिशत बिंदु की कमी आई। हालांकि अनियमित रोजगार, जिसमें संकट के दौरान वृद्धि हुई, अब भी वेतन असमानता के प्रमुख कारणों में से एक है।
- छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमों को सहयोग : कोरिया गणराज्य ने अपनी रणनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमों में निवेश के लिए ऋण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कोरिया सरकार ने बैंकों को प्रोत्साहित किया कि वे छोटी फर्मों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करें।
- सामाजिक संरक्षण : अर्जेंटीना ने न्यूनतम पेंशन के दायरे को बढ़ाकर उसमें उन अतिरिक्त 17 लाख लोगों को शामिल किया, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने रोजगार बीमा दायरे और लाभ की अवधि बढ़ाई। इसकी लागत अपेक्षाकृत कम थी और इसका वित्त पोषण नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान द्वारा होता है। इन प्रयासों की लागत वर्ष 1999 में जहां चरम पर थी, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत, वहीं वर्ष 2001 में यह घटकर 0.3 प्रतिशत हो गई।

बहरीन में बेरोजगारी बीमा : मध्य पूर्व में एक अनुकरणीय योजना

वर्ष 2009 में बहरीन व्यापक श्रम बाजार सुधार के संदर्भ में बेरोजगारी बीमा योजना लागू करने वाला पहला देश बना। ऐसी योजना की उपयोगिता का आकलन के लिए आईएलओ ने अपना तकनीकी सहयोग प्रदान किया। संगठन ने विधेयक का मसौदा तैयार किया और उसके कार्यान्वयन में मदद दी।

इस योजना में सभी श्रमिक शामिल हैं, भले ही वे दूसरे देशों के हों। इसका वित्त पोषण श्रमिकों, नियोक्ताओं तथा सरकार के अंशदान द्वारा किया जाता है। तीनों पक्षों द्वारा वेतन की एक प्रतिशत के बराबर धनराशि दी जाती है। इस बेरोजगारी बीमा योजना द्वारा रोजगार के इच्छुक लोगों को दो प्रकार से लाभ प्रदान किया जाता है : (1) एक न्यूनतम अवधि तक अंशदान प्रदान करने वाले लोगों को आय से संबंधित बेरोजगारी मुआवजा दिया जाता है, और (2) जो पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जिन लोगों ने एक न्यूनतम अवधि तक अंशदान नहीं दिया है, उन्हें एक समान दर की बेरोजगारी सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2008 के अंत में सबसे कम बर्खास्तगी के कारण, योजना ने अब तक मुआवजे के कुछ ही मामले निपटाए हैं। फिर भी, वित्तीय और आर्थिक संकट के कारण, अगर भविष्य में बर्खास्तगी की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो ऐसी प्रणाली भी मौजूद है जो रोजगार के इच्छुक लोगों को आय सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रयासों, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी करने पर नकद लाभ, उन्हें रोजगार के अनुकूल बनाने तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से करियर संबंधी मार्गदर्शन द्वारा लोगों को रोजगार में लौटने में सक्रिय सहयोग दे।

आईएलओ, डब्ल्यूटीओ ने व्यापार और अनौपचारिक रोजगार पर किया संयुक्त अध्ययन

विकासशील देशों में वैश्वीकरण और अनौपचारिक रोजगार

© एम क्रोजेट/आईएलओ

इस अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि विकासशील देशों में अनौपचारिक रोजगार की बहुलता के कारण मुक्त व्यापार करने की देश की क्षमता प्रभावित होती है और ये देश लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से मजदूर रोजगार संक्रमण को मजबूर होते हैं और गरीबी के दुश्चक्र में फंसे रहते हैं। यह शोध अध्ययन आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान और डब्लूटीओ के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से कराया गया था।

वैश्वीकरण और अनौपचारिक रोजगार के बीच संबंध का मुद्दा इस अध्ययन का मुख्य विषय था। अध्ययन में पाया गया कि अनेक विकासशील देशों में अनौपचारिक रोजगार की बहुलता है जिसके परिणामस्वरूप हजारों श्रमिक बिना किसी रोजगार सुरक्षा के काम करने को मजबूर हैं। उनकी आय कम है और उन्हें किसी प्रकार का कोई सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। विभिन्न देशों में अनौपचारिक रोजगार का स्तर अलग–अलग है। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में यह 30 प्रतिशत से कम है,

जबकि उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में 80 प्रतिशत से भी अधिक।

डबल्यूटीओ महानिदेशक पास्कल लैमी के साथ इस अध्ययन को जारी करते हुए आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने कहा, 'हम अपने अनुभव से जो बात कहते आए हैं, इस अध्ययन से उसी बात की पुष्टि होती है कि उत्कृष्ट श्रम उद्देश्यों और व्यापार, वित्तीय और श्रम बाजार नीतियों के बीच संपूरकता को प्रोत्साहित करके, विकासशील देशों को मुक्त व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी के माध्यम से वैश्वीकरण के सामाजिक आयामों की प्रगति होगी और मौजूदा संकट से निपटने में मदद मिलेगी।' श्री सोमाविया ने यह भी कहा कि 'यही बात जी 20 के हाल के आह्वान में भी प्रतिध्वनित होती है। जी 20 ने हाल ही में कहा था कि ऐसी बहाली योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए जो उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहित करें, रोजगार को संरक्षित रखने में मदद करें और रोजगार वृद्धि को प्राथमिकता दें... आय, सामाजिक संरक्षण प्रदान करना जारी रखें, बेरोजगारों और उन लोगों को प्रशिक्षित करने में सहायता दें जिनका रोजगार सबसे ज्यादा संकट में हो।'

अधिकतर निजी और अपंजीकृत उद्यम ही अनौपचारिक रोजगार प्रदान करते हैं, ऐसे उद्यम जो राष्ट्रीय कानून या नियम के अंतर्गत नहीं आते। इन उद्यमों में कोई सामाजिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। इनसे जुड़ने वाले लोग अधिकतर स्वरोजगार प्राप्त लोग या उनके परिवार के सदस्य होते हैं। अधिकतर मामलों में अनौपचारिक रोजगार का स्तर उच्च है और कुछ देशों, विशेषकर एशियाई देशों में, इसमें वृद्धि हो रही है।

इस मौके पर श्री लैमी ने कहा, 'व्यापार ने विश्व स्तर पर विकास और वृद्धि में सहयोग दिया है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इससे रोजगार की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। मुक्त व्यापार के लिए भी जरूरी है कि रोजगार सृजित करने के लिए उचित घरेलू नीतियां बनाई जाएं। यह मौजूदा संकट से और स्पष्ट होता है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में कमी आई है और हजारों लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने को विवश हुए हैं।'

विश्लेषणों में कहा गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र पर मुक्त व्यापार का असर दो बातों पर निर्भर करता है। एक, देश विशेष की स्थितियों पर और दूसरा, व्यापार और घरेलू नीतियों की रूपरेखा पर। इस अध्ययन में अनुभवजन्य विश्लेषण प्रदर्शित करते हैं कि अधिक मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में अनौपचारिक रोजगार का स्तर कम होता है। व्यापार सुधारों के अल्पकालिक प्रभावों को पहले–पहल उच्च अनौपचारिक रोजगार से जोड़ा जा सकता है, लेकिन दीर्घ काल में इससे औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को मजबूती मिलेगी क्योंकि व्यापार सुधार रोजगारोन्मुखी होते हैं और इससे सही घरेलू नीतियां भी अस्तित्व में आती हैं।

अनौपचारिकता कम होने से अतिरिक्त उत्पादक ताकत उत्सर्जित करती है, वैविध्यीकरण को बढ़ावा देती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की क्षमता को मजबूत करती है। अनौपचारिकता के प्रतिकूल प्रभाव को उत्पादकता लाभ की कमी और कंपनियों के कमजोर होने से जोड़कर देखा जा सकता है। अनौपचारिकता का स्तर उच्च होने पर उद्यमिता और जोखिम लेने की क्षमता कम होती है, जिसका कारण खराब कर प्रणाली, कमजोर सामाजिक संरक्षण और निम्न स्तर के व्यापार नियम होते हैं। अनौपचारिकता की ही वजह से देशों को व्यापार सुधारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसी वजह से मजदूर रोजगार संक्रमण को मजबूर होते हैं और गरीबी के दुश्चक्र में फंसे रहते हैं।

अनौचपारिक क्षेत्र की बहुलता के कारण संकट, जैसे मौजूदा संकट है, के प्रति विकासशील देशों की संवेदनशीलता बढ़ती है। बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले देश ऐसे संकटों से अधिक प्रभावित होते हैं और निम्न दीर्घकालीन वृद्धि दर का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक रोजगार स्वचलित स्थायित्व के असर को भी कम करता है।

विश्व बाजार में एकीकरण और उत्कृष्ट श्रम नीतियों के माध्यम से अनौपचारिक रोजगार की समस्या से निपटने को एक दूसरे का अनुपूरक माना जाना चाहिए। कंपनियों और रोजगार की औपचारिकता को सुसाध्य बनाने से देश को मुक्त व्यापार का पूर्ण लाभ मिलता है, जीवन स्तर में सुधार होता है और कार्य की उत्कृष्ट स्थितियों तक श्रमिकों की पहुंच बनती है। सामाजिक संरक्षण संक्रमण को सहयोग देने और मुक्त व्यापार के लाभों को अनुभूत करने के लिए निर्णायक होता है। इसलिए सामाजिक संरक्षण नीतियों और व्यापार सुधारों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

अध्ययन में कहा गया है कि व्यापार सुधारों को इस प्रकार तैयार और लागू करना चाहिए कि वे रोजगारोन्मुखी हों। रोजगार का पुनर्आंवटन इस प्रकार किया जाए कि वह औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि में सहायक हो।

यह अध्ययन http://ww.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/ publication/wcms_115087.pdf पर उपलब्ध है।

मार्क बचेटा, इकेहार्ड एरनेस्ट और जुआना पाओला सटेमांटे द्वारा लिखित, जेनेवा, आईएलओ, 2009. आईएसबीएन 978–92–2–122719–9. 33 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पेनिश भाषाओं में भी उपलब्ध।

जी 20 ने कहा– संकट बहाली के केंद्र में होगा अच्छा रोजगार

© एएफपी

पिछली सितंबर में, जी 20 देशों के विश्व नेताओं ने आईएलओ की विश्वव्यापी रोजगार संधि और 'भविष्य में आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगारोन्मुखी ढांचे के निर्माण का स्वागत किया।'

पिट्सबर्ग में जी 20 देशों के शिखर सम्मेलन में आईएलओ के महानिदेशक हुआन सोमाविया को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में उन्होंने रोजगार और सामाजिक संरक्षण के लिए नीतियों और संभावनाओं पर एक रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा, 'मैं उत्कृष्ट श्रम को सहयोग प्रदान करने, रोजगार संरक्षित रखने और रोजगार वृद्धि को प्राथमिकता देने में सहायक बहाली योजनाओं को कार्यान्वित करने की विश्व नेताओं की प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं।'

श्री सोमाविया ने कहा, आईएलओ जी 20 के मंच पर श्रमिकों, उद्यमों और समुदायों के हितों की बात करना चाहता है।

हालांकि विभिन्न देशों के प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों से विश्व अवसाद की अवधारणा समाप्त हुई है। इसे मान्यता प्रदान करते हुए विश्व नेताओं ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा, 'हम तब तक शांत नहीं बैठ सकते, जब तक विश्व अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए। मेहनतकश परिवारों को उत्कृष्ट नौकरियां नहीं मिल जाएं।' जी 20 देशों के नेताओं के इस संयुक्त बयान को 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जारी किया।

श्री सोमाविया ने कहा, 'पिट्सबर्ग से जो संदेश मिला, वह यह है कि संकट अभी दूर नहीं हुआ है। वर्ष 2009 में एक करोड़ 11 लाख रोजगार सृजित करने के उपाय जारी हैं और अगर बेरोजगारी को कम करना है और अनिश्चित श्रम पर काबू पाना है तो इन उपायों को जारी ही रखना होगा।' श्री सोमाविया ने विश्व नेताओं से आग्रह किया कि जिस प्रकार उन्होंने बैंकों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए उसी प्रकार उन्हें रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता और स्वेच्छा जतानी होगी। हालांकि पिट्सबर्ग इसी दिशा में उठाया गया एक उचित कदम है।'

विश्व अर्थव्यवस्था के प्रति विश्व नेताओं के अधिक संतुलित रवैये को देखते हुए श्री सोमाविया ने कहा, 'बहाली से आगे बढ़ते हुए अगर हम दीर्घकालीन वृद्धि की बात कहें

तो सबसे पहले हमें असंतुलन को कम करना होगा जिसने इस संकट को और गहरा बनाया है। अनेक देशों में वेतन उत्पादकता से पिछड़ गए जिससे खपत और बचत के बीच असंतुलन कायम हो गया। हमने अर्थव्यवस्था पर, विशेष रूप से वित्त क्षेत्र पर, अधिक ध्यान दिया और दीर्घकालिकता के सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को नजरंदाज कर दिया।'

इस सम्मेलन में मजबूत, दीर्घकालिक और संतुलित वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया ताकि 'ऐसी टिकाऊ बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके जो हमारे लोगों की जरूरत के हिसाब से अच्छी नौकरियों का सृजन करे।'

सम्मेलन में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है– 'संकट बहाली के केंद्र में होगा अच्छा रोजगार।' इस रिपोर्ट के साथ विश्व नेताओं ने ऐसी बहाली योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई 'जो उत्कृष्ट श्रम को सहयोग प्रदान करने, रोजगार संरक्षित रखने और रोजगार वृद्धि को प्राथमिकता देने में सहायक हों। उन्होंने कहा, 'हम बेरोजगारों और जिनके रोजगार पर सबसे ज्यादा संकट है, ऐसे लोगों को आय, सामाजिक संरक्षण और प्रशिक्षण सहयोग देना जारी रखेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मौजूदा चुनौतियों का बहाना बनाकर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य श्रम मानकों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए– न ही उनका असम्मान किया जाना चाहिए। यह आश्वासन देते हुए कि वैश्विक वृद्धि व्यापक स्तर पर लाभकारी है, हमें आईएलओ के कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के अनुकूल नीतियों को कार्यान्वित करना चाहिए।'

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 'मजबूत, दीर्घकालिक और संतुलित वृद्धि हेतु बुनियादी ढांचे में ऐसे संरचनात्मक सुधार की जरूरत है जो अधिक सम्मिलित करने वाले श्रम बाजारों, सक्रिय श्रम बाजार नीतियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमो का सृजन करे।' सम्मेलन में आईएलओ से आग्रह किया गया कि संगठन 'एक प्रशिक्षण रणनीति विकसित करे।'

विश्व नेताओं ने आईएलओ द्वारा स्वीकृत 'संकट से बहाली : विश्वव्यापी रोजगार संधि' का स्वागत किया और कहा कि 'वे वादा करते हैं कि उनके देश वैश्वीकरण के सामाजिक आयामों को आगे बढ़ाने वाले इसके सामान्य ढांचे के प्रमुख बिंदुओं को स्वीकृत करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को संकट पूर्व और संकट उपरांत के विश्लेषण और नीति निर्माण के दौरान आईएलओ मानकों और रोजगार संधि के प्रयोजनों पर भी विचार करना चाहिए। रोजगार नीतियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए पिट्सबर्ग सम्मेलन के अध्यक्ष ने अमेरिकी श्रम मंत्री से कहा कि वे वर्ष 2010 की शुरुआत में जी 20 देशों के रोजगार व श्रम मंत्रियों के साथ एक बैठक करें।'

1 प्रोटेक्टिंग पीपुल, प्रमोटिंग जॉब्स : अ सर्वे ऑफ कंट्री इंप्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी रिस्पांस टू द ग्लोबल क्राइसिस. जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान जारी आईएलओ रिपोर्ट पर अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखे www.ilo.org/jobcrisis

जी 20 देशों द्वारा किए गए उपाय, जिससे वर्ष 2009 में सुरक्षित रहे एक करोड़ से ज्यादा रोजगार

वित्तीय संकट की शुरुआत में ही जी 20 देशों की सरकारों ने जो रोजगार और सामाजिक संरक्षण संबंधी उपाय किए, उनके परिणामस्वरूप इस साल 70 लाख से एक करोड़ 11 लाख रोजगार बच गए। पिट्सबर्ग में सितंबर माह में हुए जी 20 देशों के सम्मेलन में आईएलओ की एक रिपोर्ट में यह कहा गया।[1]

आईएलओ ने इस रिपोर्ट में यह अनुमान भी जताया है कि विश्व भर में वर्ष 2009 के दौरान श्रम बाजार की अवनति के कारण बेरोजगारी में वर्ष 2007 की अपेक्षा 3 करोड़ 90 लाख से 6 करोड़ 10 लाख के करीब वृद्धि

© सी.पद्मुरस / आईएलओ

>> होगी। इस प्रकार विश्व भर में बेरोजगारी बढ़कर 21 करोड़ 90 लाख से 24 करोड़ 10 लाख के करीब हो जाएगी। यह विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2009 में आईएलओ के त्रिपक्षीय सदस्यों (183 देशों की सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों) द्वारा स्वीकृत संधि इन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के नीति उपाय प्रदान करती है। 54 देशों में वर्ष 2008 के मध्य और 30 जुलाई 2009 के बीच किए गए उपायों की यह रिपोर्ट जांच करती है। इसमें सभी आय स्तरों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है और चार क्षेत्रों के तहत 32 विशिष्ट उपायों पर चर्चा की गई है। ये क्षेत्र हैं, श्रम मांग को प्रोत्साहित करना, रोजगार–रोजगार के इच्छुक लोगों–बेरोजगारों को सहयोग, सामाजिक संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को विस्तार देना और सामाजिक संवाद को लागू करना एवं कार्यस्थल पर अधिकारों की सुरक्षा करना।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जी 20 देशों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सुरक्षित या सृजित नए रोजगार वर्ष 2009 की पहली छमाही में बेरोजगारी में हुई कुल वृद्धि के 29 से 43 प्रतिशत के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि अगर ये उपाय नहीं किए जाते तो इन देशों में बेरोजगारी की दर और अधिक होती।

आईएलओ का अध्ययन यह भी बताता है कि जो छह उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं– बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त व्यय, छोटे उद्यमों के लिए सबसिडी और टैक्स में कटौती, छोटे उद्यमों के लिए ऋण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सुविधाएं, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श और नकद हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक संरक्षण। ये उपाय विश्वव्यापी रोजगार संधि में रेखांकित नीतिगत उपायों के अनुकूल हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान नहीं किया गया, जैसे श्रम तस्करी और बाल श्रम पर काबू पाना, छोटे उद्यमों की सरकारी निविदाओं तक पहुंच बढ़ाने को प्रोत्साहन, क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श को बढ़ावा, श्रम निरीक्षण के लिए क्षमता विस्तार और प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा।

हालांकि शुरुआती उपायों के केंद्र में रोजगार की गिरावट और सबसे संवेदनशील लोगों पर इसके असर को कम करना था, आईएलओ की रिपोर्ट का कहना है कि बहुत से देश संकट बहाली के लिए दूसरी तरह के उपाय भी कर रहे हैं। ये देश बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं और श्रमशक्ति को ढांचागत बदलावों, जैसे निम्न कार्बन उत्सर्जन, के लिए तैयार कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, निम्न आय वाले देशों को अपने रोजगार और संकट के प्रति सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

प्रत्येक वर्ष, लगभग साढ़े चार करोड़ युवा विश्व श्रम बाजार में दाखिल होते हैं। इससे भी श्रम बाजार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वैसे भी बाजार में इस समय बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। यहां नौकरियां तलाशने वाले हतोत्साहित हैं और बहुत से लोग अनिच्छा से अल्पकालिक (पार्टटाइम) श्रम करने को मजबूर हैं। इन सभी को मिला लिया जाए तो विश्व के सामने एक बहुत बड़ी रोजगार चुनौती आकर खड़ी हो जाती है। अभी भी और निकट भविष्य के लिए भी। मजबूत आर्थिक वृद्धि और रोजगार का उच्च स्तर, दोनों अपरिहार्य हैं। इसके बिना, अगर संकट बहाली शुरू होती है तो उपलब्ध बेरोजगारी में गिरावट बहुत वर्षों तक कायम रहती है। इसलिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।

सामाजिक सुरक्षा : दायरा बढ़ाने के लिए आईएलओ ने किया आह्वान

जेनेवा में 2–4 सितंबर को हुई बैठक में 29 देशों के प्रतिनिधियों, जिसमें श्रमिक, नियोक्ता और श्रम एवं स्वास्थ्य मंत्री शामिल थे, ने ऐसी नीतियां और उपाय सुझाए जिससे विश्व स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की स्थिति मजबूत हो और उसका दायरा विस्तृत हो।

तीन दिनों तक चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि हमें विश्व अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक संकट से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अपने निष्कर्षों में, ब्राजील के सामाजिक सुरक्षा उपमंत्री कार्लोस एडुवर्डो गबास (देखें पृष्ठ 24 पर इंटरव्यू) ने कहा कि सामाजिक संरक्षण योजनाओं को विलासिता की चीज नहीं समझा जाना चाहिए और न ही

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

समाज पर बोझ समझा जाना चाहिए। क्योंकि वे संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और स्थायित्व लाने का एक माध्यम होती हैं।

उप मंत्री ने यह भी कहा कि इस सच्चाई के बावजूद कि अधिकतर देशों में कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना अवश्य है, फिर भी अधिकतर योजनाओं में अंतराल जरूर है– विकासशील और विकसित दोनों देशों में।

श्री गबास ने आईएलओ को छह समझौतों और अग्रदूत माने जाने वाले आईएलओ समझौता संख्या 102 की ओर इंगित किया। हाल ही में ब्राजील, बुलगारिया और रोमानिया ने समझौता संख्या 102 को संपुष्टि प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त अनेक देश भी संपुष्टि पर विचार कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि यह समझौता कितना प्रासंगिक है। विभिन्न देशों के अनुभवों और आईएलओ के शोध प्रदर्शित करते हैं कि अधिकतर देशों में बुनियादी सामाजिक सुरक्षा लाभ वहन करने योग्य हैं, तब भी जब पिछले कुछ सालों में उनकी शुरुआत बहुत धीमी रही है।

सामाजिक सुरक्षा के विस्तार को लेकर द्विआयामी रणनीति के प्रस्ताव में यह पाया गया कि बैठक में भाग लेने वाले अधिकतर लोग इससे सहमत थे। यह रणनीति दायरे के 'क्षैतिज' विस्तार की बात कहती है यानी सार्वजनिक नीतियों, जैसे सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों को लाभ, बूढ़ों और विकलांगों के लिए प्राथमिक पेंशन, के माध्यम से सामाजिक संरक्षण योजनाओं में शामिल लोगों की संख्या बढ़ाना, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हों। रणनीति का दूसरा पक्ष यह है कि आईएलओ के प्रासंगिक समझौतों और सिफारिशों द्वारा सुझाए बिंदुओं के अनुसार सामाजिक बीमा दायरे के लिए मानक तैयार करना।

अनेक देशों में नकद हस्तांतरण कार्यक्रम गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर भी ब्राजील में बोलसा फैमिलिया और मैक्सिको में ऑपरचुनिडैड्स जैसे कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता और जानकारी जुटाने के लिए निवेश किए जाने की जरूरत पड़ती है। विभिन्न देशों के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि परिपक्व प्रणाली की लागत वहन करने योग्य होती है, और यह सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5 प्रतिशत होती है।

अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने किया हैती के गारमेंट उद्योग का समर्थन

© सी.एच.ड्रेस / आईएलओ

पिछले अक्टूबर माह में आईएलओ के अनूठे सहभागिता कार्यक्रम बेटर वर्क और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने हैती में अपनी तरह के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रेता मंच का आयोजन किया। यह आयोजन उस योजना का अंग था जिससे रोजगार सृजन और दीर्घकालीन विकास को मदद मिलेगी। साथ ही देश के कपड़ा उद्योग में उचित श्रम पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय गारमेंट क्रेताओं, हैती के गारमेंट सप्लायर्स, श्रमिक व नियोक्ता संगठनों, हैती सरकार, अमेरिकी श्रम मंत्रालय(यूएसडोल), अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) और सीटीएमओ–होम कमीशन के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस मंच में भाग लिया।

इन प्रतिनिधियों ने बेटर वर्क हैती में अपना समर्थन जताया और देश के कपड़ा उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देने वाली श्रम पद्धतियों के महत्व पर बल दिया। एक संयुक्त बयान में, इन प्रतिनिधियों ने समर्थन और आशा जताई कि 'होम टू और बेटर वर्क के माध्यम से हैती को दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।'

बेटर वर्क हैती को अमेरिकी श्रम मंत्रालय द्वारा अनुदान प्राप्त है और यह होप टू (हैतियन हैमीस्फेरिक ऑपरचुनिटी थ्रू पार्टनरशिप एनकरेजमेंट) विधेयक का अंग है जिसे पिछले साल अमेरिकी संसद ने स्वीकृत किया था। होप टू अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश देता है और इसमें श्रम मानकों के सुधार के प्रावधान शामिल हैं।

बेटर वर्क की ग्लोबल प्रोग्राम मैनेजर रोस हार्वे के अनुसार, 'हैती में बेटर वर्क की स्थापना अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं, स्थानीय निर्माताओं, श्रमिक संघों और सरकार के बीच निकट सहयोग के माध्यम से कपड़ा उद्योग में उचित श्रम पद्धतियों को समर्थन देने के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इस समन्वय और दूसरे मुद्दों, जैसे अच्छे अभिशासन, अच्छे बुनियादी ढांचे, दक्ष श्रमशक्ति और स्थायी संचालन परिवेश को लक्षित करते हुए बेटर वर्क हैती के कपड़ा उद्योग में लंबे समय तक दीर्घकालिकता को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।'

अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के शीर्ष नेतृत्व को लक्षित करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जोकि इस समय हैती में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं, ने बेटर वर्क कार्यक्रम (यह कार्यक्रम इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक (आईएडीबी) द्वारा प्रायोजित है) के बारे में कहा : 'कंबोडिया के कपड़ा उद्योग में रोजगार की संख्या दोगुनी करने के बाद आईएलओ, आईएफसी की मदद से हैती में भी यही करने जा रहा है। गारमेंट उद्योग के निर्माता, आईएलओ और हैती सरकार मिलकर संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार, काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए।'

हैती के गारमेंट उद्योग में 30 कारखाने हैं और यहां 21 हजार लोग काम करते हैं। यह क्षेत्र देश के औपचारिक क्षेत्र के कुल रोजगार का 8 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है।

आईएलओ ने विकलांगों और आर्थिक संकट एवं बहाली पर लक्ष्य साधा

© एम क्रोजेट / आईएलओ

12 नवंबर 2009 को आईएलओ ने 'पीपुल विद डिसेबिलिटीज इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस' (आर्थिक संकट के दौर में विकलांग) नामक विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। एकेडमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, टेलीविजन स्टार और सामाजिक कार्यकर्ता मारली मैटलिन, जो 18 माह की उम्र से बधिर हैं, ने इस मौके पर कहा कि आर्थिक बहाली को प्रोत्साहित और उनका समर्थन करने के लिए विकलांगों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए।

विश्व की आबादी में विकलांगों का प्रतिशत 10 के करीब (इनकी कुल आबादी 65 करोड़, 50 लाख के करीब है)है, और विश्व के कुल गरीबों में इनका प्रतिशत इससे दुगुना है, यानी 20 प्रतिशत। इसीलिए यह चिंता लाजमी है कि वित्तीय संकट का उन लोगों पर क्या असर होता है, खासकर विकलांग महिलाओं पर।

ऐसे में मारली मैटलिन आशा भरा संदेश लेकर आईं। यह चेतावनी देते हुए कि संकट के कारण विकलांग लोग श्रम की दुनिया से बहिष्कृत हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि 'विकलांगों को कार्यक्रमों और सेवाओं, जैसे व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए जिससे आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।'

सुश्री मैटलिन ने इस बात पर बल दिया कि विकलांग लोग, विकसित और विकासशील दोनों देशों में गरीबी का सामना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम अध्ययनों से प्रदर्शित होता है कि श्रमशील वयस्कों में से कम से कम आधे, जिन्होंने न्यूनतम 12 महीनों तक आय का संकट झेला है, विकलांग होते हैं। इसी प्रकार, विकलांग महिलाओं पर विशेष रूप से गरीबी का संकट मंडराता है, खास तौर से विकासशील देशों में।

सुश्री मैटलिन की बात का अन्य प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया। ये इस प्रकार थे– आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया, आईएलओ इंप्लॉयमेंट सेक्टर के कार्यकारी निदेशक जोस मैनुअल सालाजार जिरिनाच्स, ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन कांग्रेस में इक्वालिटी एंड इंप्लॉयमेंट राइट्स पर

© एम क्रोजेट/आईएलओ

पॉलिसी ऑफिसर पीटर पुरटन और ब्रिटेन के शॉ ट्रस्ट लिमिटेड में अंतरराष्ट्रीय निदेशक बेरनी जोंस।

संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड के स्थायी मिशन के राजदूत डैथी ओ सेलाइएघ ने बताया कि आईएलओ के कार्य को आयरिश समर्थन प्राप्त है। आईएलओ विकासशील देशों में विकलांग लोगों को समान अवसर प्रदान करने को प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही आयरलैंड में विकलांगों के खिलाफ भेदभाव को मिटाने के लिए कानून और नीतियों को समर्थन प्रदान कर रहा है।

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने कहा कि आर्थिक संकट ने विश्व को हिलाकर रख दिया है। संकट ने यह जताया है कि हम पहले की तरह शांत नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि आईएलओ की विश्वव्यापी रोजगार संधि संकट के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए संवेदनशील समूहों को सबसे पहले मदद देने की जरूरत पर बल देती है। श्री सोमाविया ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया कि 'किसी भी दूसरे श्रमिक की ही तरह, विकलांग लोगों को भी सुरक्षित रखे जाने और सशक्त किए जाने की जरूरत है। यही आईएलओ की सोच है।'

उन्होंने कहा कि 'बदलाव के लिए संघर्ष की प्रेरणा हम उन लोगों से लेते हैं जो हिम्मत करते हैं। मैटलिन ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सचमुच बहुत कुछ सह रहे हैं– अपनी विकलांगता की वजह से नहीं, विकलांगों के प्रति समाज के रवैये की वजह से।'

एक भिन्न बयान में आईएलओ इंप्लॉयमेंट सेक्टर के कार्यकारी निदेशक जोस मैनुअल सालाजार जिरिनाच्स ने कहा कि आईएलओ पहले से ही विकलांगों, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं को श्रमशक्ति में भागीदार बनाने के लिए काम कर रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांगों के साथ भेदभाव न किया जाए और उन्हें समान वेतन प्राप्त हों। संगठन विकलांगों के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर रहा है और गरीबी एवं विकलांगता के बीच के जुड़ाव को तोड़ना चाहता है।

सुश्री मैटलिन ने अपने भाषण का समापन गैलाउडेट विश्वविद्यालय के पहले बधिर अध्यक्ष के उद्धरण से किया। गैलाउडेट विश्वविद्यालय विश्व में बधिरों के लिए एकमात्र कला महाविद्यालय है। सुश्री मैटलिन ने कहा, 'वह कहा करते थे कि बधिर लोग सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकते, वे सुन नहीं सकते। इसलिए उनके दूसरे बहुत से काम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं तहेदिल से मानता हूं कि हमारी विकलांगता हमारे किसी अंग– कान, आंख, हाथ या पैरों की वजह से नहीं है। यह दूसरे लोगों के दिमाग की विकलांगता है, जो हमें भी विकलांग बना देती है।'

© एम क्रोजेट/आईएलओ

जेनेवा यात्रा के दौरान सुश्री मारली मैटलिन बधिर बच्चों के एक प्राथमिक स्कूल में भी पहुंचीं। यहां 6 से 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं। यहां उन्होंने एक अभिनेत्री, एक मां और एक लेखिका के रूप में अपने अनुभव बांटे और यह भी बताया कि वह विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए किस तरह कार्य करती हैं। श्रम की दुनिया में विकलांगों के अधिकारों को व्यापक स्तर पर मान्यता दिलाने की बात भी उन्होंने की। इस दौरान सार्वजनिक शिक्षा के लिए जेनेवा के स्टेट काउंसिलर चार्ल्स बीर *(दाएं कॉलम में दूसरी फोटो, दाईं तरफ)* भी वहां उपस्थित थे।

सभी फोटो : आईएलओ/मार्सेल क्रोजेट

महाद्वीपों के इर्द गिर्द

विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और आईएलओ संबंधी गतिविधियों एवं घटनाओं की नियमित समीक्षा

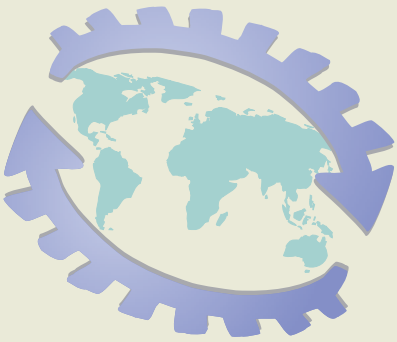

बांग्लादेश में हरित रोजगार को प्रोत्साहन

■ विश्व भर में हरित रोजगार के सृजन की अपनी पहल के अंग के रूप में आईएलओ बांग्लादेश में पुनर्नवीकृत (रीन्यूएबल) और विशुद्ध ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में, देश के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यूरो ऑफ मैनपावर इंप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग (बीएमईटी) और ग्रामीण बैंक की सहायक शाखा ग्रामीण शक्ति ने पिछली सितंबर में ढाका में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत देश भर में सौर ऊर्जा के तकनीशियनों को दक्षता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस एमओयू को देश में रीन्यूएबल ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए दो संस्थाओं के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण शक्ति ने अब तक 225000 से अधिक सोलर होम सिस्टम्स स्थापित किए हैं। यह संस्था हर महीने 12 से 15 हजार नए सिस्टम कनेक्ट करती है। इस कार्यक्रम ने बांग्लादेश में हरित रोजगार के सृजन के लिए नए क्षेत्र खोले हैं। यहां पिछले साल हरित रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

© एम. क्रोजेट / आईएलओ

अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के प्रयास

■ 14 सितंबर 2009 को आईएलओ ने कूप अफ्रीका (कोऑपरेटिव फेसिलिटी फॉर अफ्रीका प्रोग्राम) के माध्यम से सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के प्रस्तावों के लिए एक बार फिर से निमंत्रित किया। कूप अफ्रीका आईएलओ द्वारा लागू एक सहभागिता कार्यक्रम है जिसे ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग का अनुदान प्राप्त है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अफ्रीका में सहकारी संगठनों को विकसित और प्रोत्साहित करना है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलाइंस, यूके कोऑपरेटिव कॉलेज, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन, कमिटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स और अफ्रीकी यूनियन इस कार्यक्रम के दूसरे सहभागी हैं। इसके तहत आठ अफ्रीकी देशों के सहकारी संगठनो से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। तीन बार प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं– जून 2008, नवंबर 2008 और मई 2009 में। यह चौथा निमंत्रण है। इन निमंत्रणों के माध्यम से 55 संगठनों को कूप अफ्रीका के लिए चुना जा चुका है और इसके लिए लगभग 2700000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया जा चुका है।

एचआईवी/एड्स पर नए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक की तरफ बढ़ते कदम

■ अगस्त 2009 को, आईएलओ ने एचआईवी/एड्स और श्रम की दुनिया पर सिफारिश के रूप में अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक के पहले मसौदे का मूल पाठ जारी किया। पिछले जून माह में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा पर आधारित इस मसौदे को त्रिपक्षीय परामर्श के लिए सभी सदस्य देशों को भेज दिया गया। अगर वर्ष 2010 में इसे स्वीकृत कर लिया गया, तो मानवाधिकारों और श्रम पर आधारित यह पहला मानक होगा जो विशेष रूप से एचआईवी/एड्स पर केंद्रित होगा। सरकारों से कहा गया था कि वे नियोक्ता और श्रमिक संगठनों से परामर्श के बाद इस मसौदे को नवंबर 2009 तक आईएलओ के पास भेजें। श्रम मंत्रालयों को इसके लिए अन्य मंत्रालयों और एचआईवी/एड्स के लिए काम करने वाले संस्थानों, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालयों और राष्ट्रीय एड्स आयोगों, अन्य प्रासंगिक

संगठनों, एचआईवी मरीजों के संगठनों से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद जून 2010 में इस मानक को स्वीकृत करने के लिए एक बार से फिर चर्चा की जाएगी।

आईएलओ और जर्मनी ने म्यांमार में अवयस्कों की सैन्य भर्ती को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया

■ जर्मनी की सरकार और आईएलओ म्यांमार में 'अवयस्कों की सैन्य भर्ती की समाप्ति' नामक कार्यक्रम को लागू करने के लिए आपसी सहयोग करेंगे। इसके लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जुलाई 2009 से मई 2010 तक के लिए 737055 अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। आईएलओ के बलात श्रम समझौता (संख्या 29) के अनुरूप इस कार्यक्रम का लक्ष्य हैः अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल अनिवार्य सैन्य भर्ती प्रकिया सुनिश्चित करना, अवयस्कों की भर्ती की रोकथाम के लिए कानूनी, प्रशासनिक और अन्य उपायों को प्रोत्साहित करना, इस सिद्धांत का सम्मान करना कि भर्ती किए गए या सशस्त्र सेना या विभिन्न समूहों द्वारा गैरकानूनी रूप से प्रयुक्त किए गए सभी बच्चों को बिना शर्त मुक्त कराया जाए, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर निरीक्षण को सहयोग देना और उन प्रयासों की जानकारी देना, यह सुनिश्चित करना कि भर्ती किए गए अवयस्कों के साथ पीड़ित जैसा व्यवहार किया जाएगा, उत्पीड़क जैसा नहीं। मार्च 2002 में आईएलओ और म्यांमार सरकार इस बात पर सहमत हुए थे कि बलात श्रम के उन्मूलन के लिए देश की मदद हेतु म्यांमार में एक संपर्क अधिकार तैनात किया जाएगा। वर्ष 2007 में बलात श्रम के पीड़ितों के लिए एक शिकायत प्रणाली की भी शुरुआत की गई। इस प्रणाली के लिए संपर्क अधिकारी और उनका स्टाफ उत्तरदायी हैं। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में अवयस्कों की भर्ती से जुड़े अनेक मामले दर्ज किए गए।

समझौता संख्या 87, संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार पर फिलीपींस में उच्च स्तरीय आईएलओ मिशन

■ संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार पर केंद्रित समझौता (संख्या 87), 1948, से जुड़े विषयों की समीक्षा के लिए आईएलओ के एक उच्च स्तरीय मिशन ने 22–29 सितंबर 2009 के दौरान फिलीपींस का दौरा किया। इस समझौते को फिलीपींस ने वर्ष 1953 में ही संपुष्टि प्रदान कर दी थी। मानकों के कार्यान्वयन (सीएएस) पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की समिति ने वर्ष 2007 में जिन मामलों पर चर्चा की थी, उसमें फिलीपींस का मामला भी शामिल था। इससे पहले आईएलओ के निरीक्षण निकायों को श्रमिक संघों की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन्हें फिलीपींस में एक उच्च स्तरीय मिशन भेजने का निमंत्रण मिला था। वर्ष 2009 में, फिलीपींस सरकार ने आईएलओ के उच्च स्तरीय मिशन के प्रस्ताव को मंजूर किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि आईएलओ उन क्षेत्रों की पहचान करेगा, जहां समझौते के कारगर कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। संगठन ही यह सहयोग प्रदान करेगा। मिशन ने प्रासंगिक सरकारी संस्थाओं, श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों के साथ मुलाकात की और कारखानों का दौरा किया। संगठन ने जरूरी कानूनी संशोधनों और संसद में लंबित पड़े विधेयकों की समीक्षा की और उन कारणों की जांच भी की जिनके चलते राष्ट्रीय कानूनों और समझौता संख्या 87 में तालमेल बने। मिशन की रिपोर्ट को आईएलओ के निरीक्षण निकायों के सुपुर्द करने से पहले सरकार, नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों को उपलब्ध कराया गया।

घरेलू श्रमिकों के लिए श्रम मानकों पर चर्चा

■ अनेक देशों में वैतनिक घरेलू श्रम अब भी रोजगार के अदृश्य रूपों में से एक है। यही वजह है कि बहुत से घरेलू श्रमिक बहुत खराब स्थितियों में काम करने को विवश हैं। उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता। लंबे समय तक काम करना पड़ता है। उनकी निजता का उल्लंघन होता है और उन्हें यौन उत्पीड़न का खतरा बना रहता है। अधिक खराब स्थितियों में वे बलात श्रम को मजबूर होते हैं या उन्हें दासता की स्थिति तक का सामना करना पड़ता है। जब घरेलू श्रमिक कम उम्र के होते हैं, तो इस प्रकार का रोजगार बलात श्रम के निकृष्ट रूप के बराबर कहलाता है। पिछले सितंबर माह में, थाईलैंड में सरकार, श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओ पीडीआर) ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को बनाए जाने पर औपचारिक चर्चा में भाग लिया जिसके दायरे में विश्व भर के घरेलू श्रमिक आ सकें। जुलाई 2009 में, भारत और इंडोनेशिया में भी इसी विषय पर आयोजन किए गए। इन चिंताओं के प्रतिक्रिया स्वरूप, आईएलओ ने वर्ष 2010 के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की कार्यसूची में इस मुद्दे को रखने का फैसला किया है। इसके केंद्र में एक नया अंतरराष्ट्रीय समझौता या सिफारिश है।

'गो टू सी' नामक अभियान को आईएलओ का समर्थन

■ आईएलओ का नौवहन श्रम समझौता, 2006 (एमएलसी 2006) के त्वरित एवं व्यापक संपुष्टि एवं कारगर कार्यान्वयन पर आईएलओ के गोलार्ध सम्मेलन के दौरान जो सिफारिश की गई थी, उसमें नौवहनकर्मियों के प्रशिक्षण पर रणनीतिगत निवेश भी शामिल था। यह सम्मेलन बारबडोस में 7–10 सितंबर 2009 के दौरान किया गया था। इस बैठक ने 'गो टू सी' नामक अभियान का समर्थन करते हुए नौवहन उद्योग को श्रम बाजार में दाखिल होने

© एम क्रोजेट / आईएलओ

वाले युवाओं के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में दर्शाया। अंतरराष्ट्रीय नौवहन संगठन (आईएमओ) ने इस अभियान की शुरुआत की थी। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े फ्लैग स्टेट्स– पनामा और बहामास के गढ़ माने जाते हैं– इस क्षेत्र में लगभग 10,500 पंजीकृत जहाज हैं। इन दोनों फ्लैग स्टेट्स ने नौवहन श्रम समझौते को संपुष्टि प्रदान कर दी है जो कि नौवहनकर्मियों के लिए अधिकारों के व्यापक और प्रवर्तनीय अधिकार के रूप में काम करेगा और एक बार लागू होने और आईएलओ सदस्य देशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के बाद जहाज मालिकों को अधिकार प्रदान करेगा। यह समझौता जहाजों पर काम करने के न्यूनतम घंटों और कार्य की बेहतर स्थितियों की वकालत करता है, इसलिए रोजगार के इच्छुक युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे।

आईएलओ ने विश्व भर में बाल श्रम पर काबू पाने के लिए अमेरिकी अनुदान का स्वागत किया

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईएलओ–आईपैक) ने दुनिया भर के 19 देशों में बाल श्रम पर काबू पाने के लिए अमेरिकी अनुदान का स्वागत किया है। अमेरिका का श्रम विभाग इसके लिए 5 करोड़ 90 लाख डॉलर का अनुदान प्रदान कर रहा है।

इस राशि में आईएलओ–आईपैक को 39,371,100 अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। इस अनुदान का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में चलाए जा रहे आईएलओ–आईपैक कार्यक्रम को दिया गया है। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में बहुत काम किए जा चुके हैं, फिर भी यहां लाखों बच्चे अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को दांव पर लगाकर, काम करने को मजबूर हैं।

आईएलओ–आईपैक की निदेशक मिशेल जनकानिश के अनुसार, 'बाल श्रम के बदतर रूपों को समाप्त करने के अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में अमेरिका हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। हमें उम्मीद है कि इन अनुदानों की मदद से आईएलओ–आईपैक कार्यक्रमों को बढ़त मिलेगी और बाल श्रम का स्थायी और कारगर समाधान तलाशने में मदद मिलेगी।'

विश्व भर में लाखों बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के अतिरिक्त, यह अनुदान बाल श्रम आंकड़ों को एकत्र और विश्लेषित करने, बाल श्रम पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं को विकसित और कियान्वित करने और कृषि में अंतरराष्ट्रीय सहभागिता मजबूत करने में भी मदद करेगा।

सुश्री जनकानिश के अनुसार, 'ये अनुदान विश्व के सबसे संवेदनशील लोगों के लिए उस समय प्रदान किए गए हैं जब वैश्विक आर्थिक संकट ने लाखों गरीब परिवारों पर लगातार दबाव बनाया है। इस साल जून में आईएलओ द्वारा स्वीकृत विश्वव्यापी रोजगार संधि में कहा गया है कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदत्त अनुदान इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।'

अफ्रीका के लिए आईएलओ–आईपैक को डेढ़ करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिला है। यहां कोट ड आइवरी, घाना, केन्या, मालावी, नाइजीरिया और जांबिया में आईएलओ–आईपैक प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अफ्रीका के आर्थिक आयोग (इकोवास) में शामिल देशों में नीतिगत ढांचे को मजबूती प्रदान करने में इस अनुदान का उपयोग किया जाएगा। 1 करोड़ 15 लाख अमेरिकी डॉलर का उपयोग बोलीविया, ब्राजील, इक्वेडोर, मैक्सिको और पेरेगुवे में किया जाएगा, जबकि 50 लाख डॉलर फिलीपींस और इंडोनेशिया के कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। आईएलओ को आंकड़ा एकत्रीकरण और विश्लेषण के लिए 70 लाख डॉलर से अधिक प्रदान किए जाएंगे जिसमें 28 लाख डॉलर आईएलओ–आईपैक की विश्वव्यापी कार्रवाई योजना को दिए जाएंगे।

कार्रवाई योजना का उद्देश्य वर्ष 2016 तक बाल श्रम के बदतर रूपों का उन्मूलन करना है। इस योजना में आईएलओ के सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे समझौता संख्या 182 के अनुरूप समय आधारित उपयुक्त उपायों की रूपरेखा तैयार करें और उन्हें लागू करें। यह समझौता बाल श्रम के बदतर रूपों पर केंद्रित है। इस समझौते पर आईएलओ के इतिहास में सबसे तेज गति से संपुष्टियां प्राप्त हुई हैं। संगठन के 183 सदस्य देशों में से केवल 12 ने इस पर संपुष्टि नहीं दी है।

सेल्वाडोर के एनजीओ को मिला आईएलओ श्वाब फाउंडेशन का पुरस्कार

■ पिछले महीने सेल्वाडोर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अगेपे को मध्य अमेरिका, पनामा और डोमेनिकन रिपब्लिक के लिए सोशल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2009 से नवाजा गया। अगेपे को यह पुरस्कार आईएलओ और श्वाब फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से दिया। हजारों गरीब सेल्वाडोर वासियों की जिंदगी सुधारने और एक सफल कारोबारी मॉडल प्रदान करने के लिए अगेपे को यह पुरस्कार दिया गया। अगेपे– ग्रीक भाषा के इस शब्द का अर्थ है बिना शर्त प्यार–47 सामाजिक, उत्पादक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम चलाता है जिससे देश भर के 50 हजार से अधिक संवेदनशील लोग लाभान्वित होते हैं। संगठन बूढ़ों के लिए एक आश्रम, निम्न आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए एक विश्वविद्यालय, एक सामुदायिक रेस्त्रां, अनेक दवाखाने, एक टीवी स्टेशन और एक प्रकाशन समूह भी चलाता है। पुरस्कार समारोह के दौरान मध्य अमेरिका, पनामा और डोमेनिकन रिपब्लिक के लिए आईएलओ कार्यालय के प्रमुख विरगिलिओ लेवागि ने अगेपे की सामाजिक प्रतिबद्धता और अच्छी कारोबारी परंपरा के संयोग को मान्यता देते हुए कहा, 'सामाजिक प्रतिबद्धता और कारोबारी नवोन्मेष का संयोग करके एक सामाजिक उद्यम ने उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक सम्मिलन को प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। विश्व और श्रम की दुनिया इस दौर में जिस संकट का सामना कर रहे हैं, उस दौर में यही दोनों आईएलओ के दो लक्ष्य हैं। यह पुरस्कार अगेपे के योगदान को मान्यता प्रदान करता है, जिसे हम सही दिशा में बढ़ा हुआ कदम मानते हैं।'

नए प्रकाशन

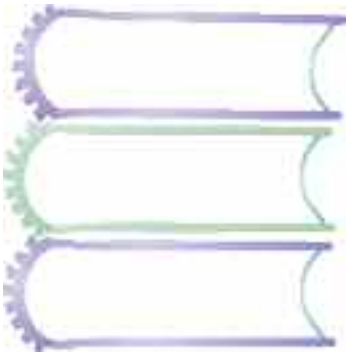

■ **वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2009. द ग्लोबल जॉब्स क्राइसिस**

आईएसबीएन 978–92–9014–908–8. 50 जेनेवा, आईएलओ, 2009। अमेरिकी डॉलर, 35 यूरो, 55 स्विस फ्रैंक्स. फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी उपलब्ध

वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का वर्ष 2009 का यह अंक मौजूदा आर्थिक संकट की तत्काल चुनौतियों पर काबू पाने की रणनीतियों की पड़ताल करता है और अधिक दीर्घकालीन विकास का आधार भी रखता है। इसमें श्रम बाजार के लिए मध्यम अवधि की चुनौतियों की पड़ताल शामिल है और यह आकलन भी किया गया है कि अब तक विभिन्न देशों ने इस संकट से निपटने के लिए क्या काम किया है। इन मध्यम अवधि की चुनौतियों को लक्षित करने के साथ, रिपोर्ट इस बात पर विचार करती है कि किस प्रकार कंपनियों की वित्तीय प्रणालियों को अधिक दीर्घकालीन बनाया जाए और अर्थव्यवस्था को हरित बनाने एवं रोजगार सृजन के बीच नीतियों को संतुलित किया जाए। रिपोर्ट में विकास, विशेष रूप से विकासशील देशों में सामाजिक संरक्षण के मुद्दे के विषय में सोचने की नई संभावनाओं पर चर्चा की गई है और संकट उपरांत वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की भूमिका के मुद्दे को खोजने की कोशिश की गई है।

■ **स्लेबर लॉ एंड वर्कर प्रोटेक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज**

जेहेनिश तेकले द्वारा संपादित, आईएसबीएन 978–92–9014–894–4. जेनेवा, आईएलओ, 2009. हर्ट पब्लिशिंग के साथ सह प्रकाशित। 55 अमेरिकी डॉलर, 40 यूरो, 60 स्विस फ्रैंक्स।

यह महत्वपूर्ण नया अध्ययन वैश्वीकरण के युग में श्रम कानून की भूमिका पर शैक्षिक और नीतिगत चर्चा का ध्यान केंद्रित करता है और दुनिया के उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में श्रम कानून प्रणालियों पर विचार करता है। यह अध्ययन मौजूदा चुनौतियों और श्रम कानूनों के भविष्य पर शैक्षिक बहसों के संदर्भ में विश्लेषण प्रदान करता है। साथ ही, प्रासंगिक किताबी जानकारियों की समीक्षा करते हुए श्रमिकों के संरक्षण की अवधारणा और कानूनी मान्यताओं एवं उपायों को प्रदर्शित करता है। इस अध्ययन में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले श्रम कानूनों की प्रभाविता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

■ **ब्लंटिंग निओ लिबरिज्म. ट्राइपरटिज्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड**

लिंडिया फ्रेल द्वारा संपादित. आईएसबीएन 978–92–9014–896–8. जेनेवा, आईएलओ, 2009. पैलग्रेव मैकमिलन के साथ सह प्रकाशित। 100 अमेरिकी डॉलर, 75 यूरो, 110 स्विस फ्रैंक्स।

यह पुस्तक विकासशील विश्व में त्रिपक्षीयता के असर की पड़ताल करने वाली पहली पुस्तक है। त्रिपक्षीयता का अर्थ है, सार्वजनिक नीतियों पर सरकारों, कारोबारियों और श्रमिकों के बीच बातचीत और परामर्श। आधुनिक औद्योगिक देशों में इस प्रकार से सार्वजनिक नीतियों का गठन अधिक उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है, त्रिपक्षीयता पर अब भी पुस्तकें मिलना कठिन हैं। इनकी बजाय विशिष्ट देशों या क्षेत्रों में संस्थानों की व्याख्यात्मक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। इस पुस्तक में अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका की आठ केस स्टडीज को लिया गया है। यह 1990 के दशक और 2000 के प्रारंभ के दौर पर केंद्रित है जब नव उदारवादी आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। क्या त्रिपक्षीयता ने नव उदारवादी आर्थिक सुधारों का रास्ता बदल दिया है? क्या इससे सुधार अधिक सामाजिक समानता पर आधारित हैं या राजनैतिक स्तर पर दीर्घकालीन? क्या इससे राष्ट्रीय नीति निर्माताओं की तुलना में अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं के लिए अधिक गुंजाइश बनती है? इन केस स्टडीज में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो प्रत्यक्ष अनुभवजन्य सामग्री प्रदान करते हैं।

■ **ग्लोबलाइजेशन एंड इनफॉरमल जॉब्स इन डेवलपिंग कंट्रीज**

मार्क बचेता, इकेहार्ड एरनेस्ट और जुआना पाओला बसटेमांटे. आईएसबीएन 978–92–2–122719–9. जेनेवा, आईएलओ, 2009. डब्ल्यूटीओ के साथ सह प्रकाशित। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी उपलब्ध। 33 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स।

यह अध्ययन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार वैश्वीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार के बीच संबंधों पर हालिया शोधों पर नजर डालता है। मौजूदा पुस्तकों और आईएलओ एवं डब्ल्यूटीओ द्वारा किए गए नए शोध से अनुपूरित, इस अध्ययन में अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार के विभिन्न आयामों पर व्यापार सुधारों के असर पर विचार किया गया है। इसमें विभिन्न प्रसारण प्रणालियों पर चर्चा की गई है और अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के साथ देश विशेष के अध्ययनों के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। इस अंक में बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के लिए जरूरी नीतियों का विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे देशों को व्यापार सुधारों का फायदा उठाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों को बढ़ाना चाहिए। अध्ययन में मुक्त व्यापार को दीर्घकालीन उच्च वृद्धि दर में बदलने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर चर्चा की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यापार, श्रम और सामाजिक नीतियों के बीच ऐसा तालमेल बनाया जाना चाहिए कि विभिन्न देश सफलतापूर्वक विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो सकें। यह पुस्तक इस बहस में शामिल सभी लोगों– विशेष रूप से व्यापार विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, नीति निर्धारकों, नियोक्ता एवं श्रमिक संघों के लिए रुचिकर है।

■ **कंसील्ड चेन्स : लेबर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइनीज माइग्रेंट्स इन यूरोप**

युन गाओ द्वारा संपादित. जेनेवा, आईएलओ, 2009. 36 अमेरिकी

डॉलर, 26 यूरो, 40 स्विस फ्रैंक्स।

यह पुस्तक तीन यूरोपीय देशों : फ्रांस, इटली और ब्रिटेन में चीन के अनियमित प्रवासियों की अदृश्य दुनिया पर केंद्रित है। यूरोप में प्रवास करने वाले चीनी लोग बिचौलियों को बड़ी रकम चुकाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अक्सर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। प्रवास के दौरान अनेक प्रकार के जोखिमों के प्रति वे अरक्षित होते हैं जिसकी वजह से गंतव्य देश में पहुंचने पर वे शोषण और कई बार बलात श्रम के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। श्रम बाजार के विभिन्न कर्ताओं के बीच रोजगार संबंधों के विश्लेषण के जरिए यह पुस्तक संवेदनशील चीनी श्रमिकों और यूरोपीय श्रम बाजारों एवं जटिल अंतरराष्ट्रीय उत्पादन श्रृंखला के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करती है। विस्तृत उदाहरणों को प्रस्तुत करते और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनी संरचना और चीन एवं यूरोप के बीच प्रवास प्रणालियों की व्याख्या करते हुए यह पुस्तक यह समझने में योगदान देती है कि किस प्रकार श्रम शोषण के विभिन्न रूपों को तोड़ा जा सकता है।

■ आईएलओ समिट ऑन द ग्लोबल जॉब्स क्राइसिस

आईएसबीएन 978–92–2–122700–7.जेनेवा, आईएलओ, 2009. 32 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स। फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में भी उपलब्ध।

बेरोजगारी, गरीबी और असमानता पर वित्तीय संकट के असर के प्रतिक्रियास्वरूप जेनेवा में 15–17 जून के दौरान आईएलओ का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को विश्व भर के देशों के प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों, उप राष्ट्रपति, मंत्रियों, श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान वित्तीय संकट के विभिन्न पहलुओं पर तीन दिनों तक गहन चर्चा की गई।

सम्मेलन के दौरान विश्व भर के नेताओं ने जो भाषण दिए और जिस प्रकार की बहस की गई, उसका पूरा मूलपाठ इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में रोजगार संकट पर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के विषय में जानकारी है और यह संकट के सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों को समाप्त करने की समान प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इसमें विश्वव्यापी रोजगार संधि का मूलपाठ भी शामिल है, जो कि अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा एक ठोस नीति प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। इस संधि को सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था और इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जी 8 और जी 20 संगठनों सहित, का जबरदस्त समर्थन मिला था।

■ इंटरनेशनल जरनल ऑफ लेबर रिसर्च

आईएसबीएन 978–92–2–122309–2. अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश भाषाओं में हर साल दो बार प्रकाशित किया जाता है, प्रत्येक अंक किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है। 42 अमेरिकी डॉलर, 30 यूरो, 45 स्विस फ्रैंक्स।

इंटरनेशनल जरनल ऑफ लेबर रिसर्च आईएलओ के ब्यूरो ऑफ वर्कर्स एक्टिविटीज द्वारा 2009 में जारी की गई नई पत्रिका है। इसका उद्देश्य विश्व भर के श्रमिक संघ शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा श्रम एवं सामाजिक नीतियों पर किए गए शोध को प्रस्तुत करना है। यह पत्रिका बहुविषयक है और श्रमिक संघ शोधकर्ताओं, श्रम मंत्रालयों और सभी प्रासंगिक विषयों– औद्योगिक संबंधों, समाज विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र– के शिक्षाविदों के लिए रुचिकर है।

अंक 1, संख्या 1 (अक्टूबर 2009) : विश्वव्यापी उत्पादन प्रणालियों के प्रति श्रमिक संघों की रणनीतियां

अंक 1, संख्या 2 (दिसंबर 2009) : विश्वव्यापी पूंजी रणनीतियां और श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया

■ एरगोनॉमिक चेकप्वाइंट्स. प्रैक्टिकल एंड ईजी टू इंप्लीमेंट सॉल्यूशंस फॉर इंप्रूविंग सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस. द्वितीय संस्करण

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इंटरनेशनल एरगोनॉमिक्स एसोसिएशन के सहयोग से तैयार। जेनेवा, आईएलओ, शीघ्र प्रकाश्य (जनवरी 2010). आईएसबीएन 978–92–2–122666–6 , 40 अमेरिकी डॉलर, 30 यूरो, 45 स्विस फ्रैंक्स

एरगोनॉमिक चेकप्वाइंट्स का यह पूर्ण रूप से संशोधित और व्यापक, द्वितीय संस्करण कार्यस्थलों पर कार्यस्थितियों में सुधार को लक्षित है। इन चेकप्वाइंट्स को लागू करने वाले लोगों के अनुभवों पर आधारित इस पुस्तक में संशोधित मूलपाठ, अतिरिक्त चेकप्वाइंट्स को शामिल किया गया है। इसमें रंगीन रेखाचित्र हैं। यह पुस्तक एरगोनॉमिक समस्याओं के 132 वास्तविक एवं लचीले समाधान प्रस्तुत करती है जो भिन्न–भिन्न प्रकार की कार्यस्थलीय स्थितियों पर लागू किए जा सकते हैं। प्रत्येक सचित्र चेकप्वाइंट एक क्रिया का संकेत देता है कि वह क्यों जरूरी हैं और किस प्रकार इसे किया जा सकता है और याद रखने योग्य बिंदुओं की जानकारी देता है। इसमें एक टेंप्लेट चेकलिस्ट भी दी गई है, जिसे कार्यस्थल विशेष के अनुसार अपनाया जा सकता है। यह पुस्तक हरेक उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो कार्यस्थल को बेहतर स्थान बनाना चाहता है, जैसे नियोक्ता, निरीक्षक, श्रमिक, सुरक्षाकर्मी एवं स्वास्थ्यकर्मी, प्रशिक्षक और शिक्षक, एक्सटेंशन वर्कर्स, इंजीनियर, एरगोनॉमिस्ट और डिजाइनर।

■ एप्रोचेज टू एट्रीब्यूशन ऑफ डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स टू ऑक्यूपेशनल आईओनाइजिंग रेडिएशन एक्पोजर एंड देयर एप्लिकेशन इन कंपेनसेशन प्रोग्राम फॉर कैंसर (ओएसएच 73)

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सीरिज, संख्या 73. जेनेवा, आईएलओ, नवंबर 2009. आईएसबीएन 978–92–2–122413–6. 32 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स

अगर काम के दौरान श्रमिक आईओनाइजिंग रेडिएशन (आयनित विकिरण) के प्रति अरक्षित होने के कारण कैंसर का शिकार हो जाते हैं तो वे मुआवजा मांग सकते हैं। हालांकि कैंसर एक सामान्य बीमारी है, खासकर वृद्धावस्था में, और कैंसर के अधिकतर मामले गैर व्यावसायिक कारणों से होते हैं। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संकलित, यह पुस्तक जोखिम के वैज्ञानिक आधारों की जांच करती है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक विकिरण के प्रति पहले अरक्षित होने के कारण किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न होने के मुद्दों पर यह पुस्तक विशेष रूप से केंद्रित है। इसमें मुआवजा योजनाओं की सामान्य विशेषताओं की जानकारियां हैं, साथ ही विभिन्न देशों में किस प्रकार की मुआवजा योजनाएं लागू हैं, यह पुस्तक इस बारे में भी बताती है।

यह पुस्तक तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों–

आईएलओ, आईएईए और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है जिसमें इन संगठनों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और आईओनाइजिंग रेडिएशन से संबंधित अधिदेश शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रशासन, श्रमिक संघों, नियोक्ताओं और उन सभी पक्षों के लिए यह प्रकाशन उपयोगी है जो श्रमिकों के मुआवजे के लिए एक भाव रखते हैं।

■ की इंडिकेटर्स ऑफ द लेबर मार्केट (केआईएलएम)

छठा संस्करण (सीडी रोम सहित). आईएसबीएन 978–92–2–122684–0. जेनेवा, आईएलओ, शीघ्र प्रकाश्य (जनवरी 2010). 250 अमेरिकी डॉलर, 180 यूरो, 275 स्विस फ्रैंक्स

इस संदर्भ पुस्तिका में तेजी से बदलती श्रम की दुनिया की सभी जानकारियां समाहित हैं। ऐसी जानकारियां भी इसमें प्राप्त हो जाएंगी जो समय के हिसाब से बदल रही हैं। अपने 10वें साल में, की इंडिकेटर्स ऑफ द लेबर मार्केट (केआईएलएम) बहुत आसानी से विश्व के श्रम बाजारों के आंकड़े और विश्लेषण उपलब्ध कराती है।

अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के भंडारों और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सांख्यिकीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से यह पुस्तिका 200 देशों के 1980 से अब तक (जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं)के आंकड़े मुहैय्या कराती है। केआईएलएम श्रम बाजार के 20 प्रमुख संकेतकों का संकलन है जो रोजगार और रोजगार से संबंधित स्थितियों (अवस्थिति, क्षेत्र, घंटे आदि), श्रम की कमी और रोजगार के इच्छुक लोगों की विशेषताओं, शिक्षा, वेतन और मुआवजा लागत, श्रम उत्पादकता और श्रमशील गरीबी पर केंद्रित हैं। इन संकेतकों पर संयुक्त रूप से कार्य करने पर एक मजबूत आधार मिलता है जो उत्पादक रोजगार और उत्कृष्ट श्रम से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को लक्षित कर सकता है।

सीडी रोम में भी उपलब्ध– विंडोज वर्जन : की इंडिकेटर्स ऑफ द लेबर मार्केट (केआईएलएम) सीडी रोम, सितंबर 2009. आईएसबीएन 978–92–2–022686–5. 90 अमेरिकी डॉलर, 70 यूरो, 100 स्विस फ्रैंक्स. तीन भाषाओं में उपलब्ध अंग्रेजी/फ्रेंच/स्पैनिश

■ ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 2009

टाइम सीरिज. आईएसबीएन 978–92–2–022238–6. 275 अमेरिकी डॉलर, 195 यूरो, 290 स्विस फ्रैंक्स. तीन भाषाओं में उपलब्ध अंग्रेजी/फ्रेंच/स्पैनिश

वर्ष 1935–36 में पहले संस्करण के साथ ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स श्रम मुद्दों पर दुनिया का सबसे व्यापक और अग्रणी सांख्यिकीय संदर्भ ग्रंथ बन गया था। इसमें लगभग 190 देशों की अधिकृत सूचनाओं का बहुत व्यवस्थित तरीके से संकलन होता है। टाइम सीरिज में नौ प्रमुख अध्ययनों के अंतर्गत 31 तालिकाएं दी गई हैं जिनमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है जैसे आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी, रोजगार, बेरोजगारी, कार्य के घंटे, वेतन, श्रम लागत, उपभोक्ता मूल्य, व्यवसायगत चोट, हड़ताल और तालाबंदी। इस सीरिज में पिछले दस सालों का लेखा–जोखा होता है।

सीडी रोम में भी उपलब्ध– विंडोज वर्जन : आईएसबीएन 978–92–2–122241–5. एकल प्रयोक्ता : 275 अमेरिकी डॉलर, 195 यूरो, 290 स्विस फ्रैंक्स. बहु प्रयोक्ता : 415 अमेरिकी डॉलर, 290 यूरो, 435 स्विस फ्रैंक्स. केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध

■ ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 2009

कंट्री प्रोफाइल्स. आईएसबीएन 978–92–2–022239–3. 190 अमेरिकी डॉलर, 130 यूरो, 200 स्विस फ्रैंक्स. तीन भाषाओं में उपलब्ध अंग्रेजी/फ्रेंच/स्पैनिश

कंट्री प्रोफाइल्स एक नए फॉरमैट को प्रस्तावित करता है जिसमें ईयरबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 2009, टाइम सीरिज में दर्ज प्रत्येक विषय के ताजा उपलब्ध आंकड़े (टाइम सीरिज के बिना) हैं। इस पुस्तक में 200 से अधिक सभी देशों, क्षेत्रों आदि की जानकारियां हैं और आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी, रोजगार और बेरोजगारी पर वैश्विक और क्षेत्रीय अनुमान हैं। मासिक, त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक आधार पर आंकड़े और रोजगार, बेरोजगारी, कार्य के घंटों, वेतन एवं उपभोक्ता मूल्यों से जुड़ी जानकारियां बुलेटिन ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स में प्रकाशित हैं।

दोनों टाइटिल्स टाइम्स सीरिज और कंट्री प्रोफाइल्स के लिए विशेष ऑफर. आईएसबीएन 978–92–2–022240–9. 375 अमेरिकी डॉलर, 260 यूरो, 390 स्विस फ्रैंक्स

■ द फाइनांशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. अ डीसेंट वर्क रिस्पांस

आईएसबीएन 978–92–9014–900–2. जेनेवा, आईएलओ, 2009. 25 अमेरिकी डॉलर, 16 यूरो, 25 स्विस फ्रैंक्स

वर्ष 2008 के बैंकिंग संकट ने विश्व में ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बुरे आर्थिक संकट को जन्म दिया। अर्थव्यवस्थाओं पर जोखिम के बादल मंडराने लगे और रोजगार में बहुत बुरी गिरावट आई। यह पुस्तक संकट के प्रति विश्व व्यापी प्रतिक्रिया की समीक्षा करती है और बताती है कि स्थिरता कायम करने के लिए क्या–क्या उपाय किए गए। यह अध्ययन वैश्विक असंतुलन, उत्कृष्ट श्रम के घाटे और असमानता की ओर इंगित करता है जो संकट बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही, संकट बहाली को सहयोग देने के लिए विश्वव्यापी रोजगार संधि की जरूरत पर चर्चा करता है। अध्ययन में रोजगार और सामाजिक संरक्षण को प्रोत्साहित करने और मजबूत–स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक उत्प्रेरक संधि ही दीर्घकालीन वृद्धि और विकास का रास्ता दिखाएगी। जून 2009 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हुई चर्चा की मदद से तैयार किया गया यह अध्ययन सामयिक नीतिगत विश्लेषण प्रदान करते हुए यह बताता है कि किस प्रकार उद्यमों और श्रमिकों पर इस संकट के असर को कम किया जा सकता है।

ब्रिकी के लिए आईएलओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या विभिन्न देशों में स्थित आईएलओ के स्थानीय कार्यालयों या सीधे आईएलओ थियेटर कोर्ट, तीसरी मंज़िल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110 003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। दूरभाषः 24602101, 2462102, फैक्सः 24602111, ई–मेलः delhi@ilo.del.org

दुनिया में बेरोजगारों की संख्या 21 करोड़: आईएलओ

■ एजेंसी।

जिनेवा। वित्तीय और आर्थिक संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। 2009 में दुनिया में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 21.2 करोड़ पर पहुंच गई है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मुताबिक, 2007 की तुलना में 2009 में बेरोजगारों की संख्या में 19 प्रतिशत यानी 3.4 करोड़ का इजाफा हुआ है। सालाना स्तर पर वैश्विक रोजगार रुख के अनुसार, पिछले साल दुनिया में बेरोजगारी की दर 6.6 प्रतिशत रही। 2007 की तुलना में यह 0.9 प्रतिशत ज्यादा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय संकट के दौर में सबसे ज्यादा असर युवा श्रमिकों पर पड़ा है। 2007 की तुलना में युवाओं की बेरोजगारी की दर 2009 में 1.6 अंक की वृद्धि के साथ 13.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह 1991 के बाद युवाओं में बेरोजगारी की वृद्धि का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया ने एक बयान में कहा कि बैंकों को बचाने के लिए हमने जो निर्णायक नीति अपनाई, कुछ ऐसी ही नीति नौकरियां बचाने के लिए भी लागू की जानी चाहिए।

सोमाविया ने कहा कि संकट से निपटने के लिए जो एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया, उससे हम बड़े संकट से बच सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक रहने की उम्मीद है, लेकिन बेरोजगारी की दर 6.1 से 7 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। ■

दुनिया में 21 करोड़ हुई बेरोजगारों की फौज

नई दिल्ली (एजेंसी)। वैश्विक मंदी के कारण पिछले तीन वर्षों में बेरोजगारों की संख्या 3.4 करोड़ बढ़कर 21.2 करोड़ तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) की जेनेवा में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आर्थिक आकलन के आधार पर जारी किए गए अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में भी बेरोजगारी के बढ़ने के आसार हैं।

विकसित देशों और यूरोपीय संघ के देशों में इस वर्ष 30 लाख बेरोजगार बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी एशिया में खासतौर से चीन के घरेलू बाजार में सुधार देखने में आया है जिस कारण वहां और उसके आसपास देशों में सुधार नजर आया है। खाड़ी देशों में बेरोजगारी की दर में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और इस साल भी स्थिति में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। दुनिया में इस अवधि में 1.2 करोड़ युवा बेरोजगार बढ़े हैं जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। यही नहीं दुनिया में 63.3 करोड़ कर्मचारियों और उनके परिवारों की वर्ष 2008 में हर रोज की कमाई महज सवा डालर (70 रुपए) थी। आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया के अनुसार हर साल 4.5 करोड़ युवा वैश्विक श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसी तरह खतरनाक समझे जाने वाले उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 1.5 अरब तक हो सकती है।

दुनिया में बेरोजगार ब

आईएलओ की रिपोर्ट ■ आंकड़ा पहुंचा 21 करोड़ 20

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक मंदी के कारण पिछले तीन वर्षों में बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ 40 लाख बढ़कर लगभग 21 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) की जेनेवा में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आर्थिक आंकलन के आधार पर निकाले गए अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में भी बेरोजगारी के बढ़ने के आसार हैं।

विकसित देशों और यूरोपीय संघ के देशों में इस वर्ष तीस लाख बेरोजगार बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी एशिया में खासतौर से चीन के घरेलू बाजार में सुधार देखने में आया है जिसके कारण वहां और उसके आसपास देशों में सुधार नजर आया है। खाड़ी के देशों में बेरोजगारी की दर में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और इस साल भी स्थिति में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस अवधि में एक करोड़ दो लाख युवा बेरोजगार बढ़े हैं जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। यही नहीं दुनिया में 63 करोड़ 30 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों की वर्ष 2008 में हर रोज की कमाई महज सवा डालर (70 रुपए) थी। आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया के अनुसार हर साल 4.5 करोड़ युवा वैश्विक श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसी तरह खतरनाक समझे जाने वाले उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 1.5 अरब तक हो सकती है।

इस वर्ष बढ़ेंगी भर्ति

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण नौकरियां जाने के बाद अब आने लगा है और इस वर्ष अधिक भर्तियां होने की उम्मीद भर्तियां छोटे स्तर पर होंगी लेकिन यह साल अर्थव्यवस्था ज्यादा निर्भर करेगा। यह बात यहां विश्व आर्थिक मंच पांचवां सर्वेक्षण में सामने आई। आर्थिक मंदी के बुरे प्रभाव व्यापार एवं राजनीतिक हस्तियों इस फोरम में शामिल के अनुसार रोजगार सृजन मुख्यतः छोटे स्तर पर होगा में होगा जबकि आर्थिक वृद्धि अधिक और वेतन कम है। में इसके कम रहने की आशा है।

दुनिया में बेरोजगारों की संख्या 21 करोड़ हुई

ले साल मंदी की वजह से
ा में बेरोजगारों की
ा 3.4 करोड़ बढ़ी

सेवा

वा

और आर्थिक संकट की वजह से
स्तर पर बेरोजगारी का आंकड़ा
है। 2009 में दुनिया में
की संख्या बढ़कर 21.2
पहुंच गई है।
राष्ट्रीय श्रम संगठन
ओ) के मुताबिक, 2007 की
2009 में बेरोजगारों की संख्या
ीशत यानी 3.4 करोड़ का
ा है। पिछले साल दुनिया में
की दर 6.6 प्रतिशत रही।
ुलना में यह 0.9 फीसद

ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय संकट के दौर में सबसे ज्यादा असर युवा श्रमिकों पर पड़ा है। 2007 की तुलना में युवाओं की बेरोजगारी की दर 2009 में 1.6 अंक की वृद्धि के साथ 13.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह 1991 के बाद युवाओं में बेरोजगारी की वृद्धि का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया ने एक बयान में कहा कि बैंकों को बचाने के लिए हमने जो निर्णायक नीति अपनाई, कुछ ऐसी ही नीति नौकरियां बचाने के लिए भी लागू की जानी चाहिए। सोमाविया ने कहा कि संकट से निपटने के लिए जो एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया, उससे हम बड़े संकट से बच सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक रहने की उम्मीद है।

दुनिया में 21.2 करोड़ बेरोजगार

महानगर नेटवर्क

नई दिल्ली

वैश्विक मंदी के कारण पिछले तीन साल में बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ 40 लाख बढ़कर लगभग 21 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) की सोमवार को जेनेवा में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आर्थिक आकलन के आधार पर निकाले गए अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में भी बेरोजगारी के बढ़ने के आसार हैं। विकसित देशों और यूरोपीय संघ के देशों में इस वर्ष तीस लाख बेरोजगार बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी एशिया में ठंडाई से बीच के थोड़ा बाजार में सुधार देखने में आया है जिसके कारण वहां और उसके आसपास देशों में सुधार नजर आया है। चीन के देशों में बेरोजगारी की दर में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और इस साल भी स्थिति में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं।

चालू वर्ष में भी बेरोजगारी के बढ़ने के आसार: आईएलओ

आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस अवधि में एक करोड़ दो लाख युवा बेरोजगार बढ़े हैं जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। यही नहीं दुनिया में 53 करोड़ 30 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों की वर्ष 2008 में हर रोज की कमाई महज सवा डालर यानी 70 रुपए थी। आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया के अनुसार हर साल करोड़ चार करोड़ युवा वैश्विक श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसी तरह स्वरोजगार समझे जाने वाले उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बढ़कर वैश्विक श्रम बल की सकती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

दुनिया में कुल 21 करोड़ बेरोजगार

2007 की तुलना में युवाओं की बेरोजगारी की दर 2009 में 1.6 अंक की वृद्धि के साथ 13.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

इंडोनी. जिनेवा

वित्तीय और आर्थिक संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। 2009 में दुनिया में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 21.2 करोड़ पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मुताबिक, 2007 की तुलना में 2009 में बेरोजगारों की संख्या में 19 प्रतिशत यानी 3.4 करोड़ का इजाफा हुआ है। सालाना स्तर पर वैश्विक रोजगार रुख के अनुसार पिछले साल दुनिया में बेरोजगारी की दर 6.6 प्रतिशत रही। 2007 की तुलना में यह 0.9 फीसदी ज्यादा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय संकट के दौर में सबसे ज्यादा असर युवा श्रमिकों पर पड़ा है। 2007 की तुलना में युवाओं की बेरोजगारी की दर 2009 में 1.6 अंक की वृद्धि के साथ 13.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह 1991 के बाद युवाओं में बेरोजगारी की वृद्धि का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

आईएलओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया ने एक बयान में कहा, 'बैंकों को बचाने के लिए हमने जो निर्णायक नीति अपनाई, कुछ ऐसी ही नीति नौकरियां बचाने के लिए भी लागू की जानी चाहिए।'

सोमाविया ने कहा कि संकट से निपटने के लिए जो एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया, उससे हम बड़े संकट से बच सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक रहने की उम्मीद है, लेकिन बेरोजगारी की दर 6.1 से 7 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

रूपेश रंजन सिंह

गांधीगीरी की मुरीद हुई शकीरा

कोलंबियाई गायिका शकीरा का कहना है कि वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया।

शकीरा को सम्मान

- अंतरराष्ट्रीय ने बच्चों के लिए काम करने पर किया सम्मानित
- दुनिया भर के बच्चों को बेहतर जीवन देने की कोशिश

गांधी कहते थे कि अगर आप दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले आप को स्वयं को बदलना होगा और मैं उनके सिद्धांतों पर चलती हूं।

शकीरा, गायिका

पॉप सिंगर शक

जिनेवा: कोलंबियाई गायिका शकीरा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी जिनेवा और ...

जिनेवा: सामाजिक न्याय के लिए कोलंबियाई गायिका शकीरा को 'मोशन पिक्चर फॉर पीस' अवार्ड दिया गया। अवार्ड के साथ पोज देती हुई गायिका

अमर उजाला नवरात्र, शुक्रवार, 5 मार्च, 2010

शकीरा ने अपनाई बापू की सीख

जेनेवा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही नहीं, पॉप स्टार शकीरा भी उन सेलेब्रिटीज में शुमार है, जो बापू की सलाह पर अमल करती हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन (आईएलओ) के सम्मान समारोह में उन्होंने भारतीय राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए। शकीरा ने कहा, महात्मा गांधी समाज में बदलाव देखने के लिए खुद को उस बदले हुए रूप में ढालने की हिदायत देते थे। उनकी सीख अपनाकर ही मैं दूसरों की भलाई करने के रास्ते पर आगे बढ़ सकी। गौरतलब है कि आईएलओ ने शकीरा को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। पॉप स्टार ने अपना अनोखा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न के शिकार बच्चों को समर्पित कर दिया।

कीरा और गांधी

jpchowkazy@yahoo.in

पाप स्टार शकीरा सम्मानित

सामाजिक कार्यों के लिए शकीरा सम्मानित

राष्ट्र, (भाषा): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने र विजेता पॉप स्टार शकीरा को विश्वभर में बच्चों और युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिये सम्मानित किया है।

आईएलओ निदेशक जनरल जुआन सोमाविआ ने जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में शकीरा को "युवाओं तथा बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक न्याय का सच्चा दूत" बताते हुये उन्हें पदक देकर सम्मानित किया।

सोमाविया ने कहा, "गरीबी में जीवन बिता रहे बच्चों और युवाओं के उत्थान के लिये आपके द्वारा किये जा रहे कामों को सम्मानित कर हम बेहद खुश हैं।"

पॉप स्टार शकीरा सम्मानित

संयुक्तराष्ट्र (प्रेट्र)। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 'आईएलओ' ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता पॉप स्टार शकीरा को विश्वभर में बच्चों और युवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया है। आईएलओ निदेशक जनरल जुआन सोमाविआ ने जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में शकीरा को युवाओं तथा बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक न्याय का सच्चा दूत बताते हुए उन्हें पदक देकर सम्मानित किया। सोमाविया ने कहा कि गरीबी में जीवन बिता रहे बच्चों और युवाओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे कामों को सम्मानित कर हम बेहद खुश हैं। गायन के अपने शानदार कॅरियर के अलावा वह 'एएलएएस' फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य थे। यह संगठन लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई इलाके में बच्चों के लिए काम करती है। शकीरा का एक अन्य संगठन बेअरफुट फाउंडेशन उनके देश कोलंबिया में करीब छह हजार बच्चों को पोषक आहार और शिक्षा प्रदान कर रहा है। यूनिसेफ की सद्भावना दूत शकीरा ने कहा कि अपने बच्चों से किए वादे पूरे करने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है लेकिन हमें तुरंत काम करना होगा। शकीरा ने कहा कि वह चाहती हैं कि इस विश्व में सभी बच्चे गरिमामय जीवन बिता सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले।

© एम कॉर्पोरेट / आईएलओ

'इतिहास भविष्य का विज्ञान है' (अल्बर्ट थॉमस)

वर्ष 2019 में आईएलओ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अपनी शीर्ष वर्षगांठ की तैयारी के लिए संगठन ने एक सेंचुरी प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसका उद्देश्य आईएलओ के लंबे और विविध इतिहास एवं इतिहास पर इसके असर और भूमिका पर जानकारियां प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य आईएलओ के इतिहास पर नए परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना है जिससे परस्पर संबंधों के विवरण से आगे बढ़ा जा सके, भौगोलिक क्षेत्रों को व्यापक बनाया जा सके और मौजूदा एवं नए ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग किया जा सके। अंततः सेंचुरी प्रोजेक्ट यह प्रदर्शित करेगा कि इतिहास किस तरह वर्तमान की जड़ों को आलोकित करता है और आज की दुविधाओं का सामना करने के लिए क्षमता प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.ILOcentury.org